RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 22 अंक 08 05 अप्रैल 2022

जगत विज़न

पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम

मंहगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भारी

मोदी की जादूगरी

मोदी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.in

पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम

मंहगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भारी मोदी की जादूगरी

(पृष्ठ क्र.-6)

- केन बेतवा लिंक परियोजना, विकास या विनाश? 26
- क्या देवड़ा ने राजस्व बढ़ाने के लिए गलत आंकड़े? 40
- वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने पढ़ा मध्यप्रदेश का हवा-हवाई बजट 43
- निराशा से भरपूर भूपेश बघेल का बजट 46
- ममता बनर्जी को कुछ बातों का प्रण करना जरूरी है 48
- अन्तर्राष्ट्रीय वन दिवस पर डॉ. धर्मेन्द्र कुमार का सम्मान 51
- लोकतंत्र को मजबूत करना है तो मीडिया को स्वतंत्र छोड़ना होगा ...52
- ठेके की नौकरियों में गुम होत भविष्य 54
- कैसे खत्म होगी बाल मजदूरी 56
- तबाही के मंज में डूबा यूक्रेन 58
- Is Solution Based journalism the solution? 62
- Citizens demad repeal of Anti-Conversion Laws in India 64

और कितनी परतें खुलेंगी व्यापम काण्ड की?

शिवराज सिंह के चौथे कार्यकाल के दो वर्ष

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल में दो साल पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद 23 मार्च 2020 को उन्होंने चौथी बार प्रदेश की सत्ता संभाली थी और यह सिलसिला अब भी जारी है। यह भूमिका निभाते हुए उन्होंने एक रिकार्ड भी बनाया। अब वह किसी भी दूसरे भाजपाई मुख्यमंत्री से अधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनका कार्यकाल 15 साल 15 दिन से अधिक हो चुका है। पिछला विधानसभा चुनाव 2018 में हुआ था, जिसमें बेहद कड़े मुकाबले में कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीन ली थी। यद्यपि कमलनाथ के नेतृत्व में केवल 15 महीने बाद यह सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के कारण गिर गई और शिवराज सिंह के ही नेतृत्व में भाजपा फिर सत्तासीन हो गई। हालांकि शिवराज के लिए यह दो वर्ष काफी उठापटक वाले रहे। सरकार पर भी अस्थिरता का खतरा मंडराता रहा। कांग्रेस से बीजेपी में आये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चिर परिचित शैली से सरकार को हमेशा कटघरे में ही खड़ा करा रखा।

इसके साथ ही शिवराज के शपथ लेते ही मार्च 2020 में सारे देश के साथ मध्यप्रदेश को भी कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया। लगभग एक साल तक सरकार इस महामारी से जूझती रही। इसके अलावा राजनैतिक अस्थिरता से भी सरकार दो चार होती रही। कहा जा सकता है कि इन दो वर्षो में शिवराज को काम करने के कम अवसर मिले और मैनेज करने में ही ज्यादा समय गया। अपने कार्यकाल के लगभग 15 वर्षो में शिवराज का यह सबसे कमजोर कार्यकाल कहा जा सकता है।

चूंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर शिवराज अपनी सुस्तता की छबि को चमकाने में लग गए हैं। सरकार द्वारा विभिन्न वर्गो के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। और जहां भी कुछ कमियां दिख रही हैं या जो लापरवाहियां सामने आ रही है उनके विरूद्ध कार्यवाहियां कर रहे हैं। आने वाले समय में भी सीएम महिलाओं को लेकर और प्रदेश के किसानों को लेकर कई योजनाएं शुरू करने वाले हैं। 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में इन दो बड़े वर्गो को साधने में शिवराज सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। शिवराज सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाड़ली लक्ष्मी–2 लाने की तैयारी कर रही है। ये योजना सीएम शिवराज की ड्रीम योजनाओं में से एक है।

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के बेहद रोमांचक शो के बाद यद्यपि अगला मुकाबला इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव में होना है, पर राजनीतिक पंडितों से लेकर आम आदमी तक की अपेक्षाकृत अधिक दिलचस्पी अगले साल के अंत में प्रस्तावित मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में दिखने लगी है। इस चुनाव में अभी डेढ़ साल से अधिक समय शेष है, पर चुनावी सियासत में रुचि रखने वाले लोग अभी से कयासबाजी करने लगे हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रति दिलचस्पी की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस चुनाव के केवल कुछ महीने बाद वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं।

उत्तरप्रदेश चुनाव के बुलडोजर बाबा के तर्ज पर शिवराज बुलडोजर मामा वाली छवि सबसे ताजा टोटका मान रहे हैं। तब ही तो अपने शासन के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बुलडोजर की प्रदर्शनी लगाई गई थी। यह प्रदर्शनी शिवराज को काफी पसंद आयी थी। अब देखना होगा कि क्या इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर वाली छवि को बरकरार रखने में कितनी जगहों पर बुलडोजर चलवा सकते हैं।

विजया पाठक

पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम

मंहगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भारी मोदी की जादूगरी

मोदी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने पांच में से चार राज्यों ने जीत हासिल की है। बीजेपी की जीत के साथ ही यह भी स्पष्ट हो चुका है कि देश के अंदर तमाम मुद्दों और मामलों के बावजूद मोदी की जादूगरी चल रही है। देश की जनता मंहगाई और बेरोजगारी के साथ दूसरे मसलों को दरकिनार कर नरेन्द्र मोदी के कामों पर मुहर लगा रहे हैं। यह चुनाव परिणाम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत मायने रखने वाले हैं। इसके साथ ही देश की तमाम पार्टियों को भी यह संदेश देने वाला है कि वर्तमान में मोदी को हराना इतना आसान नहीं है। मोदी को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को कुछ ऐसा करना होगा, जैसे चुनावों के समय बीजेपी करती है। मतलब साफ है कि मोदी को हराना है तो पार्टी नेताओं को मोदी जैसा बनना होगा। यह बात सच है कि एक राजनीतिक दल के तौर पर भाजपा के पास अपना मजबूत वोट बैंक है लेकिन भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और भाजपा के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा केवल उनके नाम की वजह से ही भाजपा के साथ जुड़ा है। इन पांच राज्योंप में उत्तरप्रदेश का चुनाव इसलिए भी सबसे अहम माना जा रहा था क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरना है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की 80 सीटों में से 62 पर जीत दर्ज की थी। अब यूपी में बीजेपी की फिर से अच्छे खासे नंबर से वापसी 2024 की डगर को आसान दिखा रही है। विधानसभा चुनावों के नतीजों से साफ है कि वोट मोदी के नाम पर पड़ा है जिससे लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी अच्छी उम्मीद कर सकती है। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। इन सब राज्यों के चुनाव परिणाम काफी हद तक २०२४ के लोकसभा चुनाव दिशा तय करेंगे। पिछले 5 साल में भाजपा राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सत्ता गंवा चुकी थीं, ऐसे में काफी दबाव था। 5 में से 4 राज्यों में जीत ने मोदी की मजबूती दी है। आखिर सवाल उठता है कि जिस बीजेपी को देश की जनता इतने बड़े स्तर पर जीत दी है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह तमाम मुद्दों से दो चार हो रही जनता के हितों के विषयों पर विचार करें।

बीजेपी के जीत के चौके से 2024 के लिए फिर होगी विपक्ष में एकजुटता की जंग

विजया पाठक

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में भाजपा का प्रदर्शन सबके सामने है। उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की सत्ता में वापसी के साथ भाजपा ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त करने के साथ ही सत्ता विरोधी लहर के दावों को भी हवा कर दिया। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चौंकाते हुए कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जैसे पुराने और स्थापित दलों को राजनीतिक रूप से हाशिये पर डाल दिया है। कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल अब पंजाब में भी स्थापित होने की राह पर बढ़ चला है। चुनावी हार-जीत के बीच उत्तरप्रदेश में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों के साथ क्लीन स्वीप किया है।

वर्ष 2012 को देखें, जब यूपी में भाजपा को मात्र 47 सीटें और 15 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि सपा पूर्ण बहुमत से चुनाव जीती थी। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज दस साल बाद की तस्वीर देखिए। भाजपा ने जीत का चौका

लगाया है। यह उत्तरप्रदेश में 45 प्रतिशत वोट शेयर के साथ भाजपा की लगातार चौथी जीत है और मोदी के नेतृत्व में यह पार्टी आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। आखिरकार ऐसा नाटकीय बदलाव कैसे आया? इसका संक्षिप्त जवाब तो यही होगा कि यह एक नई भाजपा है, जो एक नए भारत में काम कर रही है। मोदी-शाह की पार्टी ने अटल-आडवाणी दौर की उदारता के मुखौटे को उतार फेंका है और अब वह ऐसी चुनावी मशीन बन चुकी है, जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेरहमी से नेस्तनाबूद कर देती है। भाजपा ने चुनावी राजनीति के नियमों को बदल दिया है। उसने परम्परागत जाति-आधारित राजनीति को भी हाशिए पर धकेला है। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग और जाति समीकरणों को त्याग दिया है, उसने उन्हें केवल ऐसे सांचे में ढाला भर है कि पार्टी को किसी एक जाति से जोड़कर न देखा जाने लगे। यह एक ऐसा राजनीतिक विचार है, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शामिल है। इसके बूते पार्टी ने अपने सामाजिक आधार को विस्तार दिया है और उस हिंदुत्व-प्लस मतदाता-वर्ग को भी अपने में शामिल कर लिया है, जो धर्म से अलग अपनी पहचान रखता है।

भाजपा के बढ़ते प्रभाव के केंद्र में गरीबोन्मुख योजनाएं भी हैं, जिनका मकसद सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले की सरकारों ने यह नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने टॉयलेट, रसोई गैस, मुफ्त राशन या घर जैसी सुविधाएं प्रदान करने में सफलता को अपना राजनैतिक एजेंडा बनाया है, वह गेम चेंजर साबित हुआ है। हर तबके की महिलाओं ने भाजपा को कितने वोट दिए

अब 2024 में होगी मोदी और योगी के बीच होगी अस्तित्व की जंग

ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने वाली चारों भाजपा सरकारों ने बहुत अच्छा सुप्रशासन प्रदान किया था। योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि उन्होंने यूपी की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को चाक-चौबंद किया, लेकिन क्या कोई मान सकता है कि चमचमाते यूपी शाइनिंग का प्रचार उस राज्य की जमीनी हकीकत से मेल खाता है, जहां आज लाखों बेरोजगार हैं?

हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने वाली चारों भाजपा सरकारों ने बहुत अच्छा सुप्रशासन प्रदान किया था। योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि उन्होंने यूपी की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को चाक-चौबंद किया, लेकिन क्या कोई मान सकता है कि चमचमाते यूपी शाइनिंग का प्रचार उस राज्य की जमीनी हकीकत से मेल खाता है, जहां आज लाखों बेरोजगार हैं? मणिपुर में

जनादेश में दिखा जातिगत समीकरणें का समावेश

भले ही पिछले पांच सालों में अमन-चैन रहा हो, लेकिन उसकी प्रतिव्यक्ति आय आज भी देश में सबसे कम में से है। उत्तराखण्ड में एक साल में तीन मुख्यमंत्री बदलना नेतृत्व संकट का ही सबूत है। गोवा में भी प्रमोद सावंत की सरकार अनेक मोर्चो पर नाकाम मानी गई थी। इसके बावजूद भाजपा मोदी-फैक्टर के चलते प्रो-इंकम्बेंसी मोमेंटम बनाने में कामयाब रही।

वास्तव में पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आप की जीत के पीछे भी यही है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और परिवार-राज को चुनौती दी और नई उम्मीद की राजनीति के प्रतीक बने। शायद आज भाजपा केजरीवाल को अपने लिए किसी और की तुलना में एक यादा खतरनाक प्रतिद्वंद्वी मानती होगी। भारतीय राजनीति का अगला चरण हमें क्या दिखाएगा? कहीं हम 2029 के आम चुनाव में मोदी बनाम केजरीवाल का मुकाबला तो नहीं देखेंगे?

प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से जैसा जीवंत सम्पर्क स्थापित कर लिया है। विशेषकर उत्तरप्रदेश में जिसे वो अपनी कर्मभूमि कहते हैं, वह सामान्य नेता-मतदाता समीकरणों के परे जाता है। वास्तव में पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आप की जीत के पीछे भी यही है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और परिवार-राज को चुनौती दी और नई उम्मीद की राजनीति के प्रतीक बने। शायद आज भाजपा केजरीवाल को अपने लिए किसी और की तुलना में एक यादा खतरनाक प्रतिद्वंद्वी मानती होगी। भारतीय राजनीति का अगला चरण हमें क्या दिखाएगा? कहीं हम 2029 के आम चुनाव में मोदी बनाम केजरीवाल का मुकाबला तो नहीं देखेंगे? आइए जानते हैं-

05 राज्यों के चुनाव नतीजों से निकले 05 निष्कर्ष...

किसान आंदोलन खारिज

किसान आंदोलन की तपिश राजनीतिक रूप से पंजाब में उतनी महसूस नहीं की गई लेकिन, पश्चिमी उत्तरप्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर सियासी माहौल बनाने में किसान नेता राकेश टिकैत ने कोई कोताही नहीं बरती थी। किसान आंदोलन की वजह से जाट समुदाय के भी भाजपा से दूरी बनाने का दावा किया जा रहा था। इसी को भांपते हुए समाजवादी पार्टी के

सियासी कुंडली...किसी के सितारे बुलंदी पर तो किसी के गर्दिश में

यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने कई दिग्गजों की कुंडली बदल डाली है। किसी की किस्मत में राजयोग आया है, तो वहीं कुछ दिग्गोजों के लिए सत्ता का इंतजार बढ़ गया।

नरेन्द्र मोदी- 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संजीवनी। क्योंकि पिछले 5 साल में भाजपा राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सत्ता गंवा चुकी थीं, ऐसे में काफी दबाव था। 5 में से 4 राज्यों में जीत ने मोदी की मजबूती दी।

योगी आदित्यनाथ- पीएम मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर दिखते रहे हैं। अब भाजपा में कद बढ़ा। दूसरे नंबर के बड़े नेता हो सकते हैं। क्योंकि 37 साल बाद किसी पार्टी लगातार दूसरी बार यूपी में बहुमत पाया।

विपक्ष जो अब बेहद कमजोर

▶▶ 2021 में कांग्रेस पं. बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असमल, पुडेचेरी में खराब प्रदर्शन के बाद अब यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में असफलता, राहुल व प्रियंका के सियासी भविष्य के लिए खतरा है। प्रियंका इसलिये कयोंकि यूपी में वही सक्रिय रहीं। कांग्रेस 2 सीटें ला पाईं।

▶▶ 1971-72 में कांग्रेस 17 राज्यों के साथ देश की 88 प्रतिशत आबादी पर राज करती थी। मगर 2022 में पंजाब गंवाने के बाद अब कांग्रेस 3 राज्यों (राजस्थान, छत्तीसगढ़ झारखंड) में ही सिमटकर रह गई है। ऐसे में अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस में टूट और बढ़ने का खतरा है।

नए गठजोड़ जो पकड़ बना रहे

ममता बनर्जी- सपा के साथ खड़े होकर ममता ने यूपी में दस्तक दी। सपा का वोट शेयर 32 प्रतिशत रहा। 2021 में बंगाल में तृणमूल का वोट शेयर 48.5 प्रतिशत था। यानी जनाधार भी मजबूत। तृणमूल ने गोवा में भी 5 वोट शेयर हासिल किया।

अखिलेश यादव- ममता के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लामबंदी मजबूत कर रहे हैं। यूपी में वे सबसे मजबूत क्षत्रप बनकर उभरे हैं। सपा ने अपने इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा 32 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया है।

अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाट नेता और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया था क्योंकि अखिलेश यादव को भरोसा था कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगा और इसमें जाट समुदाय के वोट जुड़ने से वो जीत के करीब

पहुंच जाएंगे लेकिन किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तरप्रदेश के मतदाताओं में कोई प्रभाव बनाने में कामयाब नहीं रहा। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तरप्रदेश में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना जताई गई थी लेकिन ये मुद्दा बेअसर ही रहा। पश्चिमी उत्तरप्रदेश की 136 विधानसभा सीटों में से 93 पर भाजपा ने जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को 43 सीटें मिलीं। इतना ही नहीं लखीमपुर खीरी की उन 08 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, जो किसानों के कुचले जाने की घटना के बाद से पार्टी के लिए कांटा मानी जा रही थीं। पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन को तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर समर्थन दिया था। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किला पर अराजकता फैलाने के दोषियों को कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब सरकार ने वकील तक उपलब्ध कराए थे। देखा जाए तो किसान आंदोलन को खाद-पानी देने में पंजाब की कांग्रेस सरकार का ही हाथ था। लेकिन पंजाब चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो किसान आंदोलन का समर्थन भी कांग्रेस के काम नहीं आया। जबकि पंजाब में भाजपा कोई बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं थी। इतना ही नहीं, कई किसान संगठनों ने भी पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन किसान आंदोलन का फायदा इन किसान नेताओं को भी नहीं मिल सका। पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किसान आंदोलन को मतदाताओं ने मुद्दा मानने से ही इनकार कर दिया।

भाजपा कोई बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं थी। इतना ही नहीं, कई किसान संगठनों ने भी पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन किसान आंदोलन का फायदा इन किसान नेताओं को भी नहीं मिल सका। पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किसान आंदोलन को मतदाताओं ने मुद्दा मानने से ही इनकार कर दिया।

अखिलेश यादव की कोशिश फेल

उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को फंसाने के लिए पश्चिमी उत्तरप्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक जातीय समीकरणों का चक्रव्यूह रचा था। पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन कर जाट समुदाय को साधने की कोशिश की। इसके साथ ही ओमप्रकाश राजभर के सुभा सपा, कृष्णा पटेल के अपना दल समेत कई छोटे दलों से गठबंधन कर गैर-यादव ओबीसी मतदाताओं को साधने की कोशिश की। इतना ही नहीं योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं और विधायकों को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल कर मुस्लिम-यादव गठजोड़ के साथ ओबीसी मतदाताओं की ताकत को जोड़ने की कोशिश की लेकिन इन तमाम सियासी समीकरणों के बावजूद अखिलेश यादव को जीत हासिल नहीं हो सकी। हालांकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बढ़ा। लेकिन ये इतना नहीं रहा कि अखिलेश यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाता।

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल कर मुस्लिम-यादव गठजोड़ के साथ ओबीसी मतदाताओं की ताकत को जोड़ने की कोशिश की लेकिन इन तमाम सियासी समीकरणों के बावजूद अखिलेश यादव को जीत हासिल नहीं हो सकी।

दरअसल अखिलेश यादव ने सूबे में भाजपा के खिलाफ बढ़त लेने की भरपूर कोशिश की। लेकिन जिन माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर नीति की तारीफ हो रही थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हीं माफियाओं और अपराधियों को गठबंधन के अन्य दलों के जरिये बैकडोर से एंट्री कराने की कोशिश की। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी को अखिलेश यादव ने खुद ही गले

लगाते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल किया था। जातीय समीकरणों और मुस्लिम-यादव गठजोड़ के भरोसे पूरा यूपी विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव अति उत्साह में जमीनी रणनीति बनाने में नाकाम रहे। इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी पर गुंडई और दबंगई जैसे आरोपों को दूर करने की जगह अखिलेश यादव की भाषा में भी

उत्तरप्रदेश : योगी आदित्यनाथ के रूप में बीजेपी में चमका एक नया सितारा

हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का जिक्र होता रहा है लेकिन उत्तरप्रदेश की जीत ने यह संकेत भी दिया है कि बीजेपी में मोदी के बाद योगी हो सकते हैं। जिस तरह बीजेपी का कैंपेन आएंगे तो योगी ही और बुल्डोजर बाबा टैग लाइन के साथ आगे बढ़ा उसके बाद बीजेपी को मिली जीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बढ़ा दिया है। विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद उत्तरप्रदेश में बीजेपी की जीत ने दिखाया है कि लोगों ने मोदी के नाम पर भरोसा जताया और योगी के शासन से उन्हें दिक्कत नहीं थी। बीजेपी के भीतर भी चुनाव से पहले योगी को किनारा करने की जो कोशिशें नजर आईं, उनका योगी ने डटकर जवाब दिया था। उन्होंने खुद को बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया, जो पार्टी के भीतर की दिक्कतों से जूझते हुए और आगे बढ़े। विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद योगी की वापसी प्रदेश में उनके नेतृत्व को स्थापित करती है। पिछले चुनाव में जीत-हार में 18 प्रतिशत वोटों का अंतर था। सामान्यत: 5 प्रतिशत वोट शिफ्टिंग सरकार बदल देता है। पिछली बार भाजपा का 39 प्रतिशत वोट शेयर था। इस बार 41 प्रतिशत वोट शेयर है। साफ है कि एक नया और बड़ा वर्ग भाजपा के समर्थन में आया। बसपा के वोट प्रतिशत और सीटों के रुझान को देखें तो ये पता चलता है कि ये वोट बसपा से ही शिफ्ट हुआ है। जो आगे की राजनीति (लोकसभा चुनाव) में भाजपा के लिए वरदान साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा किसान कानून पर दोबारा विचार कर सकती है। समान नागरिक संहिता जैसे फैसले अब तेजी से अमल में लाए जाएंगे। मथुरा में मंदिर समेत हिंदुत्व को बढ़ाने जैसी गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी को कुल 41.29 प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं। वहीं सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा को कुल 32.03 फीसदी मत हासिल हुए हैं। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव में केवल 12.88 फीसदी ही वोट हासिल कर पाई। कांग्रेस यूपी चुनाव में कुल वोट का 2.33 फीसदी वोट हासिल करने में सफल रही। आरएलडी के खाते में कुल 8 सीटें आई और उसे 2.85 फीसदी वोट मिले।

आक्रामकता नजर आने लगी।

कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन रहे केजरीवाल और भाजपा

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में सबसे खराब हालात कांग्रेस के लिए ही बनते नजर आए हैं। गोवा और मणिपुर में कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के पास वैसे भी कुछ खास करने को नहीं था लेकिन यहां

यूपी चुनाव में इस बार 66 प्रतिशत गैर यादव ओबीसी और 21 प्रतिशत जाटव वोटर भाजपा के साथ आ गया। वहीं, कांग्रेस से 16 प्रतिशत मुस्लिम और 13 प्रतिशत यादव छिटक गए। इन नेताओं की सीटों पर भाजपा का समर्थन बढ़ा है। मौर्य-कुशवाहा-कोरी जातियों के 64 प्रतिशत वोट भाजपा को मिले। 2017 में यह आंकड़ा 56 प्रतिशत था। 2017 में 87 प्रतिशत जाटव बसपा के साथ थे। इस बार 65 प्रतिशत ही रह गए। इसमें 13 प्रतिशत भाजपा और 06 प्रतिशत सपा में गए। बाकी छोटे-छोटे दलो में बंटे। दलितों और अन्य ओबीसी में धारणा है कि अखिलेश सत्ता में आए तो यादववाद पनपेगा। 2017 में सर्वे में 54 प्रतिशत लोगों ने माना कि अखिलेश सरकार में यादवों को ही लाभ हुआ। सपा को उम्मीद थी कि पश्चिम यूपी में जाट-मुस्लिम-यादव समीकरण से वह बढ़त पा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि, किसान आंदोलन का असर ऊपरी हिस्से की कुछ सीटों तक सीमित रहा। मुस्लिम-यादवों को छोड़ बाकी हिंदू भाजपा में गए। 2017 में 57 प्रतिशत जाटों ने सपा-कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया था। 2022 में सपा का रालोद के साथ गठबंधन था, फिर भी जाटों का वोट शेयर 33 प्रतिशत रह गया। सपा को उम्मीद थी कि कांग्रेस का सवर्ण वोट उसे मिलेगा, पर वो भाजपा में चला गया।

किस जाति ने किस पार्टी को चुना...

जाति	भाजपा		सपा		बसपा		कांग्रेस	
	2017	2022	2017	2022	2017	2022	2017	2022
ब्राह्मण (7 प्रति.)	83	89	7	6	2	-	1	1
राजपूत (7 प्रति.)	70	87	11	7	9	2	3	1
वैश्य (2 प्रति.)	71	83	11	12	3	1	-	1
अन्य सवर्ण (2 प्रति.)	70	78	15	17	5	1	2	2
जाट (2 प्रति.)	38	54	57	33	3	12	1	-
यादव (11 प्रति.)	10	12	68	83	2	2	14	1
कुर्मी (5 प्रति.)	63	66	16	25	7	3	5	4
जाटव (12 प्रति.)	8	21	3	9	87	65	1	1
अन्य एससी (8 प्रति.)	32	41	11	23	44	27	2	4
अन्य ओबीसी (16 प्रति.)	62	66	15	23	11	4	4	3
मुस्लिम (19 प्रति.)	6	8	46	79	19	6	19	3

- **सपा वो 27 सीटें हारी, जहां बसपा ने मुकाबले में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे।**
- **भाजपा की रिजर्व सीट घटी यूपी में 86 सीटें रिजर्व थीं। इनमें से भाजपा व सहयोग पार्टी ने 68 सीटें जीतीं। 2017 में भाजपा को 78 सीटें मिली थीं।**
- **बसपा ने सपा का रास्ता रोका सपा उन 27 सीटों पर हारी, जहां बसपा ने उसके सामने मुस्लिम उतारे।**
- **इस बार 34 मुस्लिम विधायक 34 मुस्लिम विधायक जीते। सभी सपा गठबंधन के हैं। 2017 में 24 जीते थे।**
- **सपा प्रत्याशी नहीं ला पाए सजातीय वोट 50 प्रतिशत से ज्यादा रालोद के पाले में रहे और मुस्लिमों के सहारे उसने 08 सीटें जीत लीं। दूसरी तरफ, सपा प्रत्याशी मुस्लिम वोट मिलने के बाद सजातीय वोट नहीं ले पाए।**
- **भाजपा के साथ 66 प्रतिशत गैर यादव ओबीसी, कांग्रेस से 16 प्रतिशत मुस्लिम वोटर कटे।**

भी वह अपनी दुर्गति होने से नहीं रोक सकी और दो सीटों पर ही सिमट गई। पंजाब की बात करें तो कांग्रेस के पास सत्ता में आने का मौका था लेकिन अपनी गलत फैसलों और कमजोर रणनीतियों की वजह से पंजाब में कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी करने में कामयाब नहीं हो सकी। वैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में ही पंजाब में

क्या मायावती ने बीजेपी को जिताया?

यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के पीछे मोदी मैजिक, योगी का हिंदुत्व, लाभार्थी के अलावा जो सबसे बड़ा कारण है, वह है मायावती। पूरे चुनाव उनकी खामोशी, टिकट का वितरण भाजपा के हिसाब से और फिर हर समय सिर्फ और सिर्फ सपा को निशाने पर रखने के कारण खुद तो वह एक सीट पर ही सिमट गई, लेकिन भाजपा को मंजिल तक पहुंचा गई। भाजपा के लिए ये जीत सिर्फ यूपी में सरकार बनाने तक सीमित नहीं। जिस तरह से बसपा का दलित वोट भाजपा में शिफ्ट होते दिखाई दे रहा, उससे आने वाले समय में भाजपा का बेस वोट बैंक इतना मजबूत हो सकता है कि उसे भविष्य में किसी दल से गठबंधन या सहयोग की जरूरत ही न पड़े।

यूपी चुनाव में भाजपा की जीत और सपा की हार क्या कारण हैं? और इसके क्या मायने हैं?

■ भाजपा की बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण?

बसपा का अघोषित साथ। बसपा ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए, जो सपा के उम्मीदवार की ही जाति के थे। इनमें 91 मुस्लिम बहुल, 15 यादव बहुत सीटें थीं। ये ऐसी सीटें थीं, जिसमें सपा की जीत की प्रबल संभावना थी। इन 122 में 68 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती। मायावती ने बसपा के जीतने से ज्यादा जोर भाजपा को जिताने में लगाया, तभी तो कभी यूपी में सरकार बनाने वाली बसपा सिर्फ एक सीट तक सिमट गई।

■ सपा की सबसे बड़ी चूक क्या रही?

खुद को मुस्लिम सरपरस्त पार्टी की छवि से बाहर नहीं निकाल पाई। भाजपा के हिंदुत्व की काट नहीं खोज पाई। सपा के कई नेताओं, खासकर बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जिस तरह से अफसरों को धमकाया। उससे अफसर कितना डरे, कह नहीं सकते। लेकिन, बड़ी संख्या में वो हिंदू वोटर छिटक गए, जो सपा को वोट देने की सोच रहे थे। अखिलेश यादव की जयंत चौधरी के साथ जोड़ी भी सपा-रालोद गठबंधन के खेमे में जाट वोट नहीं ला सके। इसका अंदाज पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के गढ़ की सीटों से लगाया जा सकता है। यहां 30 सीटों पर लड़ने वाली राष्ट्रीय लोक दल महज 8 सीटों पर सिमट गई। वहीं, सपा की एक बड़ी चूक यह भी रही कि उसने नॉन जाटव दलित वोटों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह जाति आधारित पार्टियों के गठबंधन के भरोसे ही रह गई।

अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी थी। लेकिन कांग्रेस खेमे में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सालों तक चली खींचतान, नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस आलाकमान को धमकी, चरणजीत सिंह चन्नी को दलितों में पैंठ रखने वाला चेहरा मानने की गलती, हिंदू मतदाताओं पर प्रभाव रखने वाले सुनील जाखड़ को साइड लाइन किए जाने जैसी कई गलतियों से बने

■ **क्या भाजपा हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही?**

मोदी-योगी ने लगातार हर चीज को हिंदुत्व से जोड़ा। इसकी शुरुआत पहले चरण में ही अमित शाह ने कैराना से की थी। और आखिरी चरण में मोदी काशी में जिस तरह 3 दिन रुके, उससे वे ये साबित करने में सफल रहे कि वे ही हिन्दू शुभचिंतक हैं। यही कारण है कि पिछली बार से सीटें कम होने के बावजूद भाजपा का वोट शेयर 41 प्रतिशत है। पिछली बार 39 प्रतिशत से भी 2 प्रतिशत अधिक। बसपा का 12.8 प्रतिशत वोट शेयर दिख रहा है, जो पिछली बार के वोट शेयर 22.9 से 10 प्रतिशत कम है। सपा का वोट बैंक भी 10 प्रतिशत बढ़ा है। ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट बंटे। साथ ही मायावती और कांग्रेस के वोट का कुछ हिस्सा भी सपा को मिला। अब ये साफ है कि सवर्ण-पिछड़ा वर्ग के वोटों का जितना नुकसान सपा ने भाजपा का किया, उससे ज्यादा वोटों की भरपाई बसपा के दलित वोट से हो गई। मायावती का कोर वोट बैंक हिन्दू दलित पहली बार बड़ी संख्या में भाजपा में शिफ्ट हो गया।

■ **क्या राममंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर से जीती भाजपा?**

अयोध्या की राम मंदिर वाली सीट और वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर वाली सीट में कड़ी टक्कर दिखाई दी। दोनों ही सीटें भाजपा ने जीत लीं। विश्वनाथ मंदिर वाली सीट में योगी सरकार के कद्दावर मंत्री डा. नीलकंठ तो सिर्फ मोदी के रोड शो के बाद बदले माहौल के कारण जीते। इन दो मंदिरों के कारण पूरे प्रदेश में भाजपा ने हिंदुत्व का माहौल बनाया। भाजपा के बारे में लोगों की ये धारणा भी बनी कि ये जो कहते हैं वो करते हैं।

■ **तो क्या जातियों में लोग नहीं बंटे?**

बंटे, लेकिन कम। पश्चिमी यूपी में जाट शहरी और ग्रामीण में बंट गए। शहरी जाट बड़ी संख्या में भाजपा के साथ गए। सवर्णो में भी भेद रहा। जहां सपा ने सवर्ण चेहरा दिया, वहां बड़ी संख्या में उस जाति विशेष के वोट उसे मिले। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्राह्मण बहुल काशी विश्वनाथ मंदिर वाली सीट ही है। वहीं दलित वोट पहली बार बसपा खेमे से भाजपा में शिफ्ट हुए। भविष्य की राजनीति के हिसाब से ये भाजपा का सबसे सकारात्मक पहलू है। सपा का माई (मुस्लिम और यादव) फैक्टर का सबसे बड़ा भाग यादव भी घोसी और कामरिया दो भागों में बंट गया। इसका फायदा भाजपा को होता दिख रहा है।

■ **मोदी मैजिक कितना चला?**

इस बार भी मोदी मैजिक चल गया। भाजपा ने इसका इस्तेमाल वहां ज्यादा किया, जहां योगी से लोगों की थोड़ी-बहुत नाराजगी थी। जहां-जहां भाजपा को कमजोर माना जा रहा था। मोदी ने लगभग 19 जनसभाएं करके करीब 192 सीटों को कवर किया। इनमें 134 सीटें भाजपा ने जीत लीं।

■ **योगी के बुलडोजर ने कितना काम किया?**

योगी ने 70 में 58 रैलियों में बुलडोजर की बात की। भाजपा इन सभी सीटों पर आगे निकल गई है। दरअसल, योगी ने बुलडोजर को माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिंबल बना दिया। लोगों ने इसे कानून-व्यवस्था में सुधार के रूप में देखा। जिसका असर रिजल्ट में भी दिखाई दिया।

■ **लाभार्थी वोट कितना कारगर रहा?**

हार-जीत के कयासों के बीच भाजपा को अगर सबसे अधिक विश्वास था तो वो 15 करोड़ लाभार्थियों पर। उन्हें महीने में दो बार अनाज-तेल के साथ नमक भी दिया गया। चुनाव के समय भाजपा ये संदेश देने में कामयाब रही कि नमक का कर्ज चुकाना है। ये लोगों की भावना से जुड़ा और काफी हद तक इसका प्रभाव रिजल्ट पर भी दिखाई दे रहा है।

राजनीतिक खांचे में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फिट हो गई और 92 सीटों के साथ एकतरफा जीत हासिल कर ली।

पंजाब में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी को गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। वहीं गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में भाजपा ने

■ किसान-आवारा जानवर-बेरोजगारी जैसे मुद्दों का कोई असर नहीं पड़ा?

थोड़ा-बहुत असर दिखा, लेकिन उतना नहीं, जितना भाजपा को डर या सपा को उम्मीद थी। सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिमी यूपी है। यहां की 60 फीसदी सीटें भाजपा जीती। माना जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति ने यहां हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण में अहम रोल अदा किया। यूपी में लखीमपुर में जहां केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा, वहां भी भाजपा ने 8 में सभी सीटों पर जीत दर्ज की।

■ तो क्या अखिलेश की रैलियों के दिखने वाली भीड़ किराए की थी?

नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सपा 125 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी उसे 77 सीटों का फायदा हुआ है। ऐसे में आधार तो पिछली बार से बढ़ा ही। वोट प्रतिशत भी 10 फीसदी बड़ा है। हां, रैलियों की भीड़ से समर्थकों का उत्साह पता चलता है, सरकार का नहीं। इसका एक बड़ा उदाहरण बिहार का पिछला चुनाव भी है। जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव की रैलियों में इससे भी अधिक भीड़ उमड़ रही थी।

पिछले 05 वर्षो के कार्यकाल में योगी के रुप में उत्तरप्रदेश ही नहीं देश को भाजपा ने एक नया और बिल्कुल स्पष्टवादी नेता दिया। ऐसा नेता, जो अपनी धार्मिक भावना के साथ चलते हुए देश के सबसे बड़े राज्य का सीएम बनता है और देश के राष्ट्रवादियों के दिल में राज भी करना जानता है। इन 05 सालों में जहां उप्र में बाहुबलियों के प्रति यूपी सरकार यानी योगी के एक्शन मॉडल की खूब चर्चा देशभर में रही। आंकड़े बताते हैं कि बीते 05 सालों में उत्तरप्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, कुंटू सिंह जैसे तमाम माफियाओं की लगभग दो हजार करोड़ की अवैध संपत्ति पर कब्जे हटा दिए गए, बिल्डिंग गिरा दी गई, यानी बुलडोजर चला। योगी की इसी स्पष्टवादिता के कायल हैं उनके समर्थक। मोदी ने योगी को उपयोगी का तमगा दिया था। क्या लड़की हूं, लड़ सकती हूं, का कांग्रेस का नारा भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा या कांग्रेस को फायदा देगा? क्या लखीमपुर खीरी की घटना के कारण बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी दिखेगी? क्या अखिलेश को सत्ता मिलेगी? इन सारे सवालों का जवाब जनता ने दे दिया है। और कह दिया है कि विश्वास तो बाबा यानी योगी आदित्यनाथ पर ही है और इसी विश्वास से अब बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नया राष्ट्रवादी विकल्प तैयार मिलना पुष्ट हो गया है। अब जनता नाम बदलने, बुलडोजर चलने, एक्शन होने के इंतजार में फिर से रहेगी। फिर से उप्र में पांच साल हम सभी योगी मॉडल को देखेंगे और इस जीत के मायने 2024 की लोकसभा में आते भी देख पाएंगे।

कांग्रेस को पूरी तरह से राजनीतिक हाशिये पर डाल दिया है। बीते कुछ चुनावों पर नजर डालें तो इन पांचों चुनावी राज्यों में कांग्रेस का वोट शेयर बहुत तेजी से कम हुआ है और उत्तरप्रदेश में यह खात्मे की

भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और भाजपा के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा केवल उनके नाम की वजह से ही भाजपा के साथ जुड़ा है। 2017 के उत्तर

प्रदेश विधानसभा चुनाव में 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भी

ओर ही है। बीते कुछ सालों में कांग्रेस के कई नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं और भविष्य में ये संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं जी-23 नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान यानी गांधी परिवार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। देखा जाए तो कांग्रेस अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में हैं लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो भविष्य में अरविंद केजरीवाल और भाजपा इन राज्यों में भी कांग्रेस के लिए खतरा बन सकते हैं।

इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा मोदी मैजिक

एक राजनीतिक दल के तौर पर भाजपा के पास अपना मजबूत वोट बैंक है लेकिन

पीएम नरेंद्र मोदी ने पांचों राज्यों में 12 वर्चुअल, 32 फिजिकल रैलियां कीं, जिनमें से 19 फिजिकल रैलियां केवल उत्तरप्रदेश में की गई थीं। चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें तो पीएम मोदी ने इन 19 रैलियों के जरिये 192 सीटों पर पहुंच बनाई और नतीजों में 134 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में आईं।

अपने नाम पर एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया लेकिन इस चुनाव में ये मोदी मैजिक ही थी, जिसने भाजपा को पांच राज्यों के चुनाव में 4-1 से बाजी जीतने में मदद की। पीएम नरेंद्र मोदी ने पांचों राज्यों में 12 वर्चुअल, 32 फिजिकल रैलियां कीं, जिनमें से 19 फिजिकल रैलियां केवल उत्तरप्रदेश में की गई थीं। चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें तो पीएम मोदी ने इन 19 रैलियों के जरिये 192 सीटों पर पहुंच बनाई और नतीजों में 134 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में आईं।

मुद्दों पर भारी लोक कल्याणकारी योजनाएं

पांचों राज्यों में विकास एकमात्र कॉमन

मुद्दा कहा जा सकता है तो चार राज्यों में विकास के मुद्दे पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। वहीं, पंजाब में भाजपा सत्ता में नहीं थी और पंजाब में कभी मोदी लहर का असर नहीं दिखा तो इस बार भी राज्य में भाजपा दो सीटें ही जीत सकी। हालांकि उत्तरप्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक के राज्यों में भाजपा की लोक कल्याणकारी योजनाओं का जमकर प्रभाव नजर आया।

उत्तराखंड : बीजेपी ने मारी बाजी

उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। प्रदेश की कुल 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 47 सीटें जीती हैं, जबकि 19 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। 4 चार सीटें अन्य दलों को मिली हैं। खटीमा विधानसभा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। उन्हें कंग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6951 मतों से हराया है। कुल मिलाकर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना ली है। उत्तराखंड में पांचवीं विधानसभा के चुनाव में मतों का पिटारा खुला तो देवभूमि में फिर से लगातार दूसरी बार

भाजपा सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में दोबारा बड़ा जनादेश सुनाते हुए कुल 70 में से 47 सीटें थमा दीं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊधमसिंह नगर जिले की खटीमा सीट से चुनाव हार गए। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2017 की तुलना में उसकी सीट 11 से बढ़कर 19 हो गईं। बीजेपी ने चुनाव में 44.34 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं। वहीं मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है और उसे 37.91 प्रतिशत वोट मिले हैं। राय में एक सीट पर जीत हासिल करने वाली बीएसपी को 4.82 प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं। राज्य में बड़ी उम्मीद लगाकर चुनाव में आम आदमी पार्टी हालांकि कोई सीट जीतने में तो सफल नहीं हो पाई है लेकिन पार्टी वोट शेयर के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी ने 3.31 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं।

मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण, पीएम आवास योजना, गरीबों को मुफ्त बिजली, मुफ्त शौचालय जैसी योजनाओं के जरिये भाजपा ने एक लाभार्थी वोट बैंक खड़ा कर दिया है जो जाति आदि के सियासी समीकरणों से ऊपर उठकर भाजपा के लिए वोट करते हैं। उत्तर प्रदेश में आवारा पशु, कोरोना कुप्रबंधन, ठाकुरवाद जैसे राजनीतिक आरोप भी धरे के धरे रह गए।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन यूपी की तुलना में बेहतर रहा है। पार्टी के दो विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन पार्टी को केवल एक सीटों पर जीत मिल सकी। इस प्रकार उत्तराखंड में उत्तरप्रदेश की तुलना में पार्टी दोगुनी मजबूत दिख रही है। उत्तरप्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री मायावती का प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन इस पर पार्टी चुनावी मैदान में पूरी तरह से बेरंग नजर आई। उत्तराखंड की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव हार गए।

27 प्रतिशत विजयी प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस

उत्तराखण्ड के 70 नवनिर्वाचित विधायकों में से 27 प्रतिशत पर क्रिमिनल केस हैं। विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण कर एसोसिएशन फॉर डेमोटिक रिफार्म (एडीआर) ने रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक 19 (27 फीसदी) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। पिछली विधानसभामें आंकड़ा 22 (31 प्रतिशत) था। 10 के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस हैं। भाजपा के 47 विधायकों में से आठ (17 फसदी), कांग्रेस के 19 में से आठ (42 फीसदी) और बसपा के दो में से एक ने आपराधिक केस की जानकारी दी है। भाजपा के पांच (11 प्रतिशत), कांग्रेस के चार (21 फीसदी) और एक निर्दलीय विधायक ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले की जानकारी दी है।

58 (83 फीसदी) विधायक करोड़पति हैं

2017 में 51 (73 प्रतिशत) करोड़पति थे। भाजपा के 47 में से 40, कांग्रेस के 19 में से 15, बसपा के दोनों और एक निर्दलीय विधायक ने एक करोड़ रूपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है।

वहीं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ फ्लैगशिप की तरह नजर आए।

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में राह आसान करेगा। उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड में बीजेपी को मिले बहुमत से यह भी साफ है

पंजाब : दिल्ली के बाहर आप का उदय

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटों पर जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। कांग्रेस को इनमें से 18 सीटों पर जीत मिली है। अकाली दल ने 03 सीटें हासिल की हैं, जबकि भाजपा के खाते में 02 सीटें आई हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 42.06 प्रतिशत फीसदी मत प्रतिशत प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भाजपा 6.59 प्रतिशत, बसपा 1.78 प्रतिशत, कांग्रेस 22.94 प्रतिशत फीसदी मत प्राप्त हुए हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में पारंपरिक दलों कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल से मोहभंग करते हुए बारी-बारी राय में सरकार बनाने की कड़ी को भी तोड़ दिया। इसके लिए चुनाव प्रचार के दौरान आप ने लगातार मतदाताओं से बदलाव की गुहार लगाई थी। आप ने जहां राय में तीन चौथाई सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस तथा शिरोमणि अकाली दल-बसपा गइबंधन काफी पीछे छोड़ दिया। आप अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के बाद देश के एक और राय में सरकार बना ली है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, शिरोमणि अकाली दल के कद्दावर नेता प्रकाश सिंह बादल, उनके पुत्र सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, वरिष्ठ अकाली नेता बिम सिंह मजीठिया और पंजाब सरकार के कई मंत्रियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस ने 1992 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटें जीती थीं, जो 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद सबसे अधिक सीटें थीं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की जीत को क्रांति करार दिया। पंजाब में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ 10 साल से सत्तासीन अकाली दल-भाजपा गठबंधन की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था। उस चुनाव में आप को 20 सीटें मिली थीं, वहीं अकाली दल-भाजपा के खाते में 08 सीटें आई थीं। आम आदमी पार्टी ने विद्यालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के जरिये पंजाब में दिल्ली मॉडल को लागू करने की बात भी कही थी। आप ने मतदाताओं को लुभाने के लिए महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली आपूर्ति जैसे वादे भी किए थे। अब आप के लिए इन वादों को पूरा करने के लिए चुनौती होगी। आप ने 2014 के लोकसभा चुनाव में चार सीट जीतकर पहली बार पंजाब में चुनावी दस्तक दी थी। यह जीत ऐसे समय में मिली, जब भाजपा ने पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि, आप 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और 20 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी।

कि भले ही विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना के दौरान खराब मैनेजमेंट को मुद्दा बनाता रहा हो, लेकिन लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर भरोसा जताया है। बीजेपी की इस जीत के कई मायने हैं और ये मायने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए काफी हो सकते हैं। उत्तरप्रदेश में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर

गोवा : किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी

गोवा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 11 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी को दो, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को एक, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी को दो, रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी को एक और निर्दलीयों ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की है। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 21 है। गोवा विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि, भाजपा राय में 20 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास 6.75 फीसदी मत प्रतिशत हैं। वहीं AITC 5.21 प्रतिशत, बीजेपी 33.24 प्रतिशत, GFP 1.85 प्रतिशत, कांग्रेस 23.41 प्रतिशत, MAG 7.63 प्रतिशत, और अन्य के पास 19.35 फीसदी मत प्रतिशत हैं। गोवा में पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आज़माने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। टीएमसी ने एमजीपी के साथ गठबंधन करके 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वर्ष 2017 के चुनाव में 17 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी क्योंकि 13 सीटें जीतने वाली भाजपा ने कुछ निर्दलीय विधायकों और क्षेत्रीय दलों के विधायकों साथ गठबंधन कर मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सरकार का गठन कर लिया था।

चुनाव लड़ा था। लगातार चुनाव प्रचार में केंद्र सरकार की योजनाओं और लोगों को मिले लाभ का जिक्र हुआ। उत्तराखंड में भी राज्य सरकार की बात कम और नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की बात ज्यादा हुई। यहां बीजेपी ने तीन मुख्यमंत्री बनाए। दो मुख्यमंत्री बदलकर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया और चुनाव में हर पोस्टर में मोदी के साथ धामी का ही चेहरा था। धामी

मणिपुर : राष्ट्रीय ट्रेंड के मुताबिक ही रहा चुनाव परिणाम

विधानसभा चुनाव में मणिपुर की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 32 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी को सात, नगा पीपुल्स फ्रंट और कांग्रेस को पांच-पांच सीटें मिली हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 11 सीटों पर जीत मिली है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 सीटें जीती थीं और कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। छोटे से मणिपुर राज्य में भी चुनाव परिणाम राष्ट्रीय ट्रेंड के मुताबिक ही रहा है। बीजेपी का उत्थान ही उत्थान और कांग्रेस का पतन ही पतन। पांच साल पहले राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में 28 सीटें जीती थीं जो बहुमत से महज दो कम थी। भाजपा 21 सीटों के साथ काफी पीछे थी, लेकिन उसने सरकार बनाने के लिए एनपीपी, एनपीएफ और अन्य के साथ झटपट गठबंधन कर लिया। उन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म था कि छोटे दलों के समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल किया गया। इस बार इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। भाजपा आराम से 30 के आधे आंकड़े को पार कर चुकी है और वह अपने दम पर सरकार बना सकती है। पिछली बार की तरह इस बार भाजपा को अलग हुए सहयोगियों एनपीपी और एनपीएफ को कोई रियायत देने की जरूरत भी नहीं होगी। बीरेन को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। कम से कम विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को निरस्त करने का वादा वे पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि भाजपा की केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर उनसे राजी होने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुसंख्यक मैतेइयों के भय का भरपूर फायदा उठाया जिनका मानना है कि अगर मणिपुर से भाजपा बाहर हुई तो इससे नागा शांति प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस और जदयू का मत प्रतिशत क्रमश16.83 फीसदी और 10.77 फीसदी है। नगा पीपुल्स फ्रंट ने भी पांच सीटें जीती हैं, जबकि पीपुल्स पार्टी सात सीटों पर जीत हासिल की और वह दूसरे स्थान पर रही। भाजपा ने 37.83 फीसदी वोट पाकर अपने बलबूते जीत दर्ज की और बहुमत हासिल किया।

खुद अपनी सीट हार गए। इससे साफ है कि उत्तराखंड के लोगों ने मोदी के नाम पर और उन पर भरोसा जताकर ही वोट किया है। विधायकों की भगदड़, एंटी-इनकंबेंसी और बेरोजगारी, कोविड, छुट्टा जानवर जैसे मुद्दे योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आने से नहीं रोक सके। बीजेपी की ओवरऑल टैली में गिरावट देखी गई मगर वोट शेयर 2017 के मुकाबले बढ़ा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए सीटें और वोट शेयर बढ़ना ही सांत्वना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2017 में जो फसल बोनी शुरू की थी, 2022 में उसे काटा। बंपर जीत से आप ने शिरोमणि अकाली दल को

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2017 में जो फसल बोनी शुरू की थी, 2022 में उसे काटा।

तक सीमित रह गई। बीजेपी के आंकड़ों में सुधार हुआ है। मणिपुर में बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ना सही फैसला साबित हुआ। अपने दम पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई। पंजाब में भी बीजेपी ने 06 फीसदी से यादा वोट पाकर 02 सीटें जीती हैं। पंजाब में पहली बार अकाली दल से अलग होकर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। भले ही बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन था लेकिन जब कैप्टन खुद अपनी सीट हार गए तो यह साफ है कि बीजेपी ने अपने बूते ये दो सीटें जीतीं। साफ है कि बीजेपी के लिए मोदी अब भी मैजिक कर सकते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यह बीजेपी की राह आसान करते तो नजर आते ही हैं।

साफ कर दिया और कांग्रेस को भी हरा दिया। उत्तराखंड में बीजेपी ने दो बार सीएम बदला। चुनाव से पहले कई बड़े नेता कांग्रेस में चले गए लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। अलग सूबे के तौर पर अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही देश का पहाड़ी राय उत्तराखंड वहां कांग्रेस और बीजेपी के बारी-बारी से सत्ता सौंपता रहा है। लेकिन इस बार पहाड़ ने अपने ढर्रे से हटते हुए वहां बीजेपी को दोबारा मौका देकर इतिहास रच दिया है। गोवा में बीजेपी के भीतर कलह, बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने और भारी एंटी-इनकंबेंसी। सब कागजों

2024 के लिए साफ संकेत

उत्तरप्रदेश का चुनाव इसलिए भी सबसे अहम माना जा रहा था क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरना है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की 80 सीटों में से 62 पर जीत दर्ज की थी। अब यूपी में बीजेपी की फिर से अच्छे खासे नंबर से वापसी 2024 की डगर को आसान दिखा रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की पांच सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड ने सभी सीटें बीजेपी के खाते में डाली थीं। विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि वोट मोदी के नाम पर पड़ा है जिससे लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी अच्छी उम्मीद कर सकती है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल गठबंधन को यहां चार सीटों पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आई थीं और आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है, वहीं बीजेपी भी अपने लिए कुछ उम्मीद तो कर ही सकती है। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हैं। दोनों ही राज्यों में अभी बीजेपी ही सत्ता पर काबिज है। अब बीजेपी वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलने की उम्मीद बढ़ा सकती है।

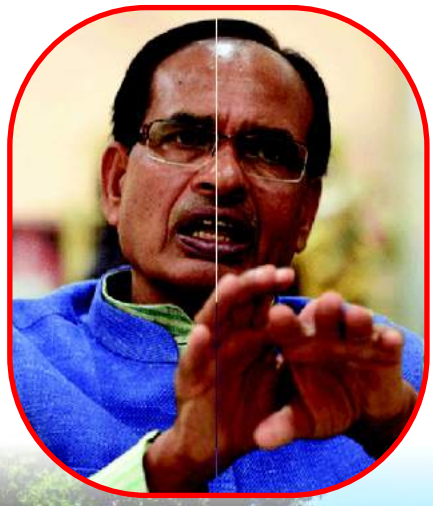

पत्रकार सुनील नामदेव

केन-बेतवा लिंक परियोजना

विकास या विनाश?

दिसम्बर 2021 में बहुचर्चित केन-बेतवा लिंक परियोजना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की मंजूरी मिलते ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि यह परियोजना विकास के लिए है या विनाश के लिए। क्योंकि पिछले कई वर्षो से इस परियोजना को लेकर आपत्तियां दर्ज की जाती रही हैं। कभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर तो कभी सानीय निवासियों को लेकर तो कभी वन्यजीवों को लेकर। लेकिन तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आखिरकार मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकना एक गंभीर चुनौती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान की सम्भावनाओं के बीच इस परियोजना के उद्देश्यों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। यह योजना 44 हजार करोड़ से भी यादा की है। इसके अंतर्गत 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की मदद से नदियों को जोड़ने के पहले फेज का काम केन-बेतवा लिंक शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूरा होते ही देश की 30 नदियों को जोड़ने की योजना का शुभारंभ हो जाएगा। इन सबके बीच परियोजना के शुरू होते ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि बेतवा का बहाव नीचे की ओर है, जबकि केन ऊपर बहती है। ऐसे में दोनों नदियों को जोड़ना बेहद मुश्किल है। नदियों की स्वाभाविक गति को मोड़ने को किसी अनहोनी को दावत देने जैसी बात कही जा रही है। अतीत से सबक, पानी को लेकर बंटवारे के मुकदमे और दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे फायदा कम और नुकसान यादा होगा। इस परियोजना के तहत मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में कम से कम 23 लाख पेड़ों का काटने की इजाजत दी है, जिसमें से बेहद संवेदनशील पन्ना टाइगर रिजर्व का 4141 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि ऐसा करते हुए मंत्रालय ने ये शर्त रखी थी कि सरकार को प्रभावित वनभूमि के एवज में बराबर गैर-वनभूमि (6017 हेक्टेयर) वन विभाग को उपलब्ध कराना होगा। लेकिन ऐसा कर पाने में सरकार विफल रही है। सरकार का दावा है इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसमें से मध्यप्रदेश का 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश का 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है। हालांकि केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया था। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.38 लाख हेक्टेयर (2.52 लाख हेक्टेयर 2.41 लाख हेक्टेयर) का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है।

23 लाख पेड़ों के विनाश की जिम्मेदारी कौन लेगा?

विजया पाठक

भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं ने पर्यावरण में इतना अधिक परिवर्तन ला दिया है कि मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, धराशायी होने के कगार पर पहुँच गया है। साथ ही मानव की अदूरदर्शी विकास प्रतिक्रियाओं ने विनाशात्मक रूप धारण कर लिया है। ऐसे में डर है कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की बहुचर्चित केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कहीं अदूरदर्शी विकास प्रतिक्रियाओं का एक उदहारण न बन जाए। दिसम्बर 2021 में केन-बेतवा लिंक परियोजना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की मंजूरी मिलते ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि यह परियोजना विकास के लिए है या विनाश के लिए। क्योंकि पिछले कई वर्षो से इस

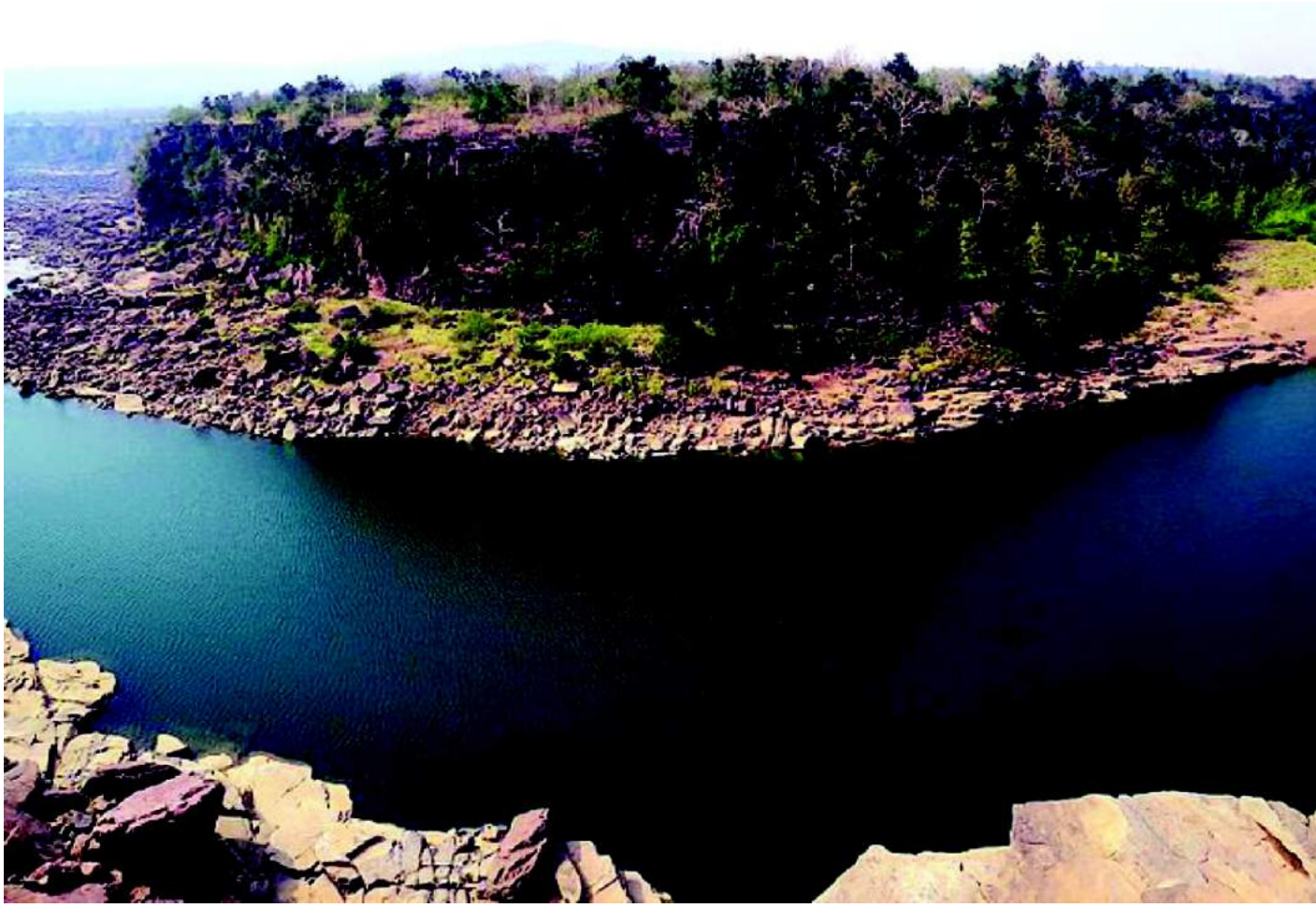

तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आखिरकार मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकना एक गंभीर चुनौती है।

परियोजना को लेकर आपत्तियां दर्ज की जाती रही हैं। कभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर तो कभी स्थानीय निवासियों को लेकर तो कभी वन्यजीवों को लेकर। लेकिन तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आखिरकार मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकना एक गंभीर चुनौती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान की सम्भावनाओं के बीच इस परियोजना के उद्देश्यों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं।

इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अंतर्गत 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्यप्रदेश के 12 जिलों को पानी मिलेगा। इसके साथ ही 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इस महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना से लगभग 62 लाख लोगों को

इस प्रोजेक्ट के तहत 20 सेंटीमीटर और उससे अधिक की लंबाई वाले लगभग 23 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने अक्टूबर 2019 में सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा था कि केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-1 की जांच दौरान पाया कि इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले पौधों की काफी संख्या है, जिनकी गणना नहीं की गई है।

शुद्ध पेयजल मिलेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होगा। यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा।

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इस परिकल्पना पर आधारित है कि केन बेसिन में पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए केन नदी पर दौधन बांध और नहर बनाकर इस पानी को बेतवा बेसिन में डाला जा सकता है। हालांकि सरकार ने आज तक उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया है, जिसके आधार पर उन्होंने ये दावे किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इसी वजह से आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें भी पता है कि केन नदी में इतना पानी नहीं है कि उसे कहीं और ले जाया जाए। आरोप है कि इस संबंध में सरकार ने जो भी अध्ययन करवाए हैं, उनमें काफी त्रुटियां हैं। लेकिन इन आपत्तियों को दरकिनार कर इस परियोजना के पहले चरण में केन नदी के पास में स्थित दौधन गांव में एक बांध बनाया जाना है, जो 77 मीटर ऊंचा और 2,031 मीटर लंबा होगा। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी, जिसके जरिये केन का पानी बेतवा बेसिन में लाया जाएगा। साथ ही 1.9 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लंबी दो सुरंग भी बनाई

जाएगी। दौधन बांध के चलते 9,000 हेक्टेयर का क्षेत्र डूबेगा, जिसमें से सबसे यादा 5,803 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व का होगा, जो कि बाघों के रहवास का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य केन नदी घाटी के अधिशेष जल के प्रतिस्थापन के माध्यम से ऊपरी बेतवा घाटी में पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों के लिये पानी उपलब्ध कराना है। उपरी बेतवा घाटी बुन्देलखण्ड से बाहर स्थित है, इसका अर्थ यह हुआ कि पहले से ही जलसंकट ग्रस्त बुन्देलखण्ड से पानी खींचकर बुन्देलखण्ड के बाहर पहुँचाया जाएगा। जानकारों एवं स्थानीय लोगों का मानना है इस लक्ष्य को दूसरे रास्ते से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसी परियोजना को लागू कर व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय नुकसान और वन्यजीव को खतरा पहुंचाने के लिए उतारू है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 35(6) में कहा गया है कि किसी भी वन्यजीव को नष्ट करना या हटाना, किसी भी जंगली जानवर के आवास को नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या मोड़ना और नेशनल पार्क या अभ्यारण्य के अंदर या बाहर पानी के प्रवाह को रोकना या बढ़ाना, जैसे कार्यो के लिए केवल तभी अनुमति दी जा सकती है जब यह वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक हो। इस टाइगर रिजर्व में सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि गिद्ध, सुअर, हिरण, भालू, तेंदुआ, चिंकारा, महाशीर मछली, हाइना, गीदड़, लोमड़ी, चीतल, भेड़िया, सोनकुत्ता, लाल एवं काले मुंह वाले बंदर, जंगली सुअर, सियार जैसे कई जानवर हैं। बांध बनाने के चलते केन घड़ियाल अभ्यारण्य तक भी प्रभावित होगा, जो घड़ियालों के जीवन के लिए खतरा है। इसके साथ इस परियोजना में 10 गांव भी डूबेंगे, जिसके चलते कम से कम करीब 8,340 लोग प्रभावित होंगे।

इस प्रोजेक्ट के तहत 20 सेंटीमीटर

क्या है केन–बेतवा

सूखी नदियों को सदा जल से भरी रहने वाली नदियों से जोड़ने की बात आज़ादी के समय से ही शुरू हो गई थी लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने, ख़र्चीली परियोजना होने और अपेक्षित नतीजे न मिलने के डर से ऐसी परियोजनाओं पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। नदियों का पानी समुद्र में न जाए इसे लेकर नदियों को जोड़ने के पक्ष में तर्क दिये जाते रहे हैं और माना जा रहा है भारत में नदी जोड़ो उपक्रम का आरम्भ केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही हो जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने वाले 230 किलोमीटर लंबी नहर और विभिन्न बैराज और बाँधों की एक श्रृंखला का निर्माण करना है जिससे उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों की सिंचाई सुलभ होने की उम्मीद है। सर्वप्रथम इस परियोजना के अंतर्गत 9,000 हेक्टेयर के जलाशय का निर्माण कर उसमें पानी रोका जाएगा। इस जलाशय के पास ही दो पॉवर हाउस बनाए जाएंगे जिनसे 78 मेगावाट हाइड्रो पॉवर का उत्पादन किया जाएगा। फिर 230 किमी लंबी नहर निकाली जाएगी। इस नहर के मध्यम से एक व्यापक क्षेत्र को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद भी एक निश्चित मात्रा में केन नदी से बेतवा नदी में पानी छोड़ा जाएगा, हालाँकि यहाँ पर सबसे वाजिब सवाल यह है कि क्या

नदी जोड़ो परियोजना?

केन और बेतवा नदियों में इतना पानी उपलब्ध है? केन-बेतवा लिंक परियोजना के पूरा हो जाने से जहां 8 लाख 11 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी, वहीं 41 लाख लोगों को सहज तौर पर पीने का पानी मिल पाएगा। 44 हजार 605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकेगी।

कितना पानी है केन और बेतवा में?- केन और बेतवा में कितना पानी है! यह अभी तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह जानकारी सार्वजानिक अधिकार क्षेत्र के दायरे के बाहर रखी गई है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने पर गठित तत्कालीन समिति के एक सदस्य ने यह जानकारी माँगी कि केन और बेतवा नदियों में कितना पानी है, आश्चर्य कि बात है कि उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि केन-बेतवा, गंगा नदी घाटी के भाग हैं जो कि एक अन्तराष्ट्रीय नदी घाटी है। अंतराष्ट्रीय नियमों के अनुसार संबंधित नदियों में पानी की मात्रा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

चूँकि केन-बेतवा परियोजना की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि दोनों नदियों में कितना पानी है,यदि नदियों में जल का स्तर कम हुआ तो जलाशय में पानी इकट्ठा कर न तो बिजली उत्पादन हो सकता है और न ही नहर निकाली जा सकती है। पहले केन-बेतवा में कितना पानी है इसका ईमानदारी से आंकलन करना होगा।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में अन्य चिंताए- जंगल केवल पशु-पक्षियों के आश्रय स्थल नहीं हैं बल्कि यह नदियों के लिये परिपोषण का भी कार्य करता है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में उल्लेख किया गया है कि केन नदी के जलग्रहण क्षेत्र में मौज़ूद पन्ना टाइगर रिजर्व की 10,500 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना के द्वारा नष्ट हो जाएगी। विदित हो कि इतने बड़े पैमाने पर वन्य भूमि के नष्ट हो जाने से जीव-जंतु प्रभावित तो होंगें ही साथ में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में भी व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, कृषि वित्त निगम लिमिटेड द्वारा किये गए पर्यावरण प्रभाव आकलन में इसका उल्लेख तक नहीं है। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले गाँवों में कमजोर आय वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और कुल 7000 के करीब लोगों के विस्थापन की एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने होगी। इस परियोजना में निर्माण कार्य, विस्थापन और पुनर्वास एवं अन्य कार्यो पर अनुमानित लागत हजारों करोड़ रुपए तक हो सकती है। ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसाइयों का एक बड़ा भ्रष्टाचारी वर्ग इस परियोजना की तरफ गिद्धदृष्टि से देख रहा है।

और उससे अधिक की लंबाई वाले लगभग 23 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने अक्टूबर 2019 में सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा था कि केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-1 की जांच दौरान पाया कि इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले पौधों की काफी संख्या है, जिनकी गणना नहीं की गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि इस परियोजना को पूरा होने में करीब आठ साल का समय लगेगा, इसलिए ये पेड़ 20 सेमी. लंबाई की सीमा को पार कर जाएंगे और अंततः इन्हें काट दिया जाएगा, लेकिन इन पेड़ों की कटाई के आंकड़ों में इनकी गणना नहीं की गई है, जो चिंताजनक है। दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी का मानना था कि जितने पेड़ काटने का अनुमान लगाया गया है, उसी तुलना में काफी ज्यादा पेड़ खत्म हो जाएंगे। यहां पर सागौन, खैर, सैजा, सलैया, गुंजा, पलाश, धवा, तेंदू, कुल्लू, करघई, बेल, महुआ, बांस इत्यादि के पेड़ पाए जाते हैं।

उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की मदद से नदियों को जोड़ने के पहले फेज का काम केन-बेतवा लिंक शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूरा होते ही देश की 30 नदियों को जोड़ने की योजना का शुभारंभ हो जाएगा। इन सबके बीच परियोजना के शुरू होते ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि बेतवा का बहाव नीचे की ओर है, जबकि केन ऊपर बहती है। ऐसे में दोनों नदियों को जोड़ना बेहद मुश्किल है। नदियों की स्वाभाविक गति को मोड़ने को किसी अनहोनी को दावत देने जैसी बात कही जा रही है। अतीत से सबक, पानी को लेकर बंटवारे के मुकदमे और दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। हालांकि सरकार इसकी सफलता को लेकर आश्वस्त हैं। पर्यावरण, वन एवं

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने उठाए थे सवाल

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने केन–बेतवा लिंक की विस्तृत जांच कर 30 अगस्त 2019 को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यदि इस परियोजना का लागू किया जाता है तो 10,500 हेक्टेयर में फैले पूरे वन्यजीवों का घर उजाड़ हो जाएगा, जो पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है। इस प्रोजेक्ट के तहत वन भूमि के 6,017 हेक्टेयर भूभाग को खत्म किया जाएगा, जिसके चलते कम से कम 23 लाख पेड़ कटेंगे। इसके साथ–साथ घड़ियाल अभयारण्य और गिद्धों का प्रजनन केंद्र भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा। ऐसे कई दुष्प्रभावों को संज्ञान में लेते हुए समिति ने कहा था कि सरकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश सकती है। सरकार का दावा है इसके जरिये कुल 9.04 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, जिसमें से 6.53 लाख हेक्टेयर मध्यप्रदेश और 2.51 लाख हेक्टेयर उत्तरप्रदेश का क्षेत्र सिंचित होगा। इसके अलावा दोनों राज्यों के 62 लाख लोगों को पेयजल मुहैया कराने का भी प्रावधान किया गया है। इस पर सीईसी ने कहा कि केन बेसिन में पहले से ही 11 बड़े और मध्यम परियोजनाएं तथा 171 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, इन्हीं का क्षमता विस्तार कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने इस पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन पर ही सवाल उठाते हुए कहा था कि डीपीआर के मुताबिक अपर बेतवा बेसिन में अनुमानित 384 एमसीएम पानी की कमी इसी वजह से है क्योंकि बेतवा बेसिन में बनाए गए पूर्ववर्ती सिंचाई परियोजनाओं के तहत यही वादा किया गया था कि बेतवा बेसिन में इकट्ठा होने वाले पूरे पानी को इसके निचले क्षेत्रों में भेजा जाएगा। सीईसी ने कहा कि अपर बेतवा बेसिन की कीमत पर निचले बेतवा बेसिन में सिंचाई व्यवस्था करने की त्रुटिपूर्ण प्लानिंग से सबक लेकर इस परियोजना के तहत ऐसी किसी गुंजाइश को खत्म करने पर विचार किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि सरकार केन नदी के पानी को इसके निचले क्षेत्रों और बेतवा के अपर बेसिन में भेजने का जो दावा कर रही है, उसके चलते अपर केन बेसिन के किसान जरूर जल से वंचित हो जाएंगे, नतीजन इस प्रोजेक्ट की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए केन बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में सिंचाई की बेहतर सुविधा करने की संभावनाओं को तलाशे बिना ये कहना कि केन बेसिन के अतिरिक्त पानी को बेतवा बेसिन में भेजा जा सकता है, यह अपरिपक्व प्रतीत होता है जबकि इस परियोजना के तहत करदाताओं के बेतहाशा पैसे खर्च होने वाले हैं। इसके अलावा समिति ने कहा था कि केन और बेतवा नदी के क्षेत्र में औसतन करीब 90 सेमी ही वर्षा होती है, इसलिए सूखे के समय इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं क्योंकि तब दोनों नदियों के बेसिन में उतना पानी इकट्ठा नहीं होगा, जितना की विभिन्न अध्ययनों में बताया गया है। हालांकि केंद्र ने इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है।

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण डिविजन ने वन सलाहकार समिति की सिफारिश पर 25 मई 2017 को केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 6,017 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन कार्यो (डाइवर्जन) में इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान

की थी। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 8,427 फुटबॉल के मैदान के बराबर की भूमि में लगे पेड़ों को खत्म किया जाना है। इस परियोजना के तहत मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में कम से कम 23 लाख पेड़ों का काटने की इजाजत दी है, जिसमें से बेहद संवेदनशील पन्ना टाइगर रिजर्व का 4141 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि ऐसा करते हुए मंत्रालय ने ये शर्त रखी थी कि सरकार को प्रभावित वनभूमि के एवज में बराबर गैर-वनभूमि (6017 हेक्टेयर) वन विभाग को उपलब्ध कराना होगा। लेकिन ऐसा कर पाने में सरकार विफल रही है। उलटे पिछले करीब तीन सालों से पर्यावरण मंत्रालय पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वे इस प्रावधान को बदल दें। जल मंत्रालय के तत्कालीन सचिव ने 30 जुलाई 2018 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार अपेक्षित 6,017 हेक्टेयर में से 4,206 हेक्टेयर ही गैर-वनभूमि का पता लगा पाई है, इसलिए इस शर्त को हल्का किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वे अतिरिक्त गैर-वनभूमि का इंतजाम करने में असमर्थ हैं। सचिव ने कहा था कि बाकी की जो 1,811 हेक्टेयर (6,017 हेक्टेयर - 4,206 हेक्टेयर) जमीन बच रही है, उसके बदले में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की दोगुनी बिगड़ी या खराब वनभूमि अर्थात 3,622 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए दिया जा सकता है। हालांकि इस कदम को विशेषज्ञों ने पर्यावरण नियम का घोर उल्लंघन और जंगल के दृष्टिकोण से खतरनाक बताया है। इसके बाद केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लागू कर रही जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी

सरकार के खोखले दावे

सरकार का दावा है कि इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी, जिसमें से मध्यप्रदेश में 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही 62 लाख लोगों को पेयजल भी मिलेगा। हालांकि बुंदेलखंड के विकास के नाम पर प्रचारित की जा रही इस परियोजना के तहत जहां एक तरफ क्षेत्र के 13 जिलों में से आठ जिले (पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर) को ही लाभ मिलने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्रों को भी लाभ देने का प्रावधान किया गया है, जो बुंदेलखंड से बाहर हैं। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फ़ेज़-2 में जिन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, वे बुंदेलखंड के बाहर स्थित शिवपुरी, विदिशा, रायसेन और सागर जिले को लाभ पहुंचाएंगे। जानकारों का कहना है कि हकीकत में ये परियोजना बुंदेलखंड के लिए है ही नहीं। इसके तहत क्षेत्र के जिन इलाको को सींचने का दावा किया ज़ा रहा है, वो पहले से ही पूर्व की परियोजनाओं के तहत सिंचित क्षेत्र के दायरे में हैं। इस परियोजना का असली मकसद बेतवा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में पानी पहुंचाना है, जो बुंदेलखंड से बाहर है। दावों की पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने 30 अगस्त 2019 को सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा था केन बेसिन में पहले से ही 11 बड़े और मध्यम परियोजनाएं तथा 171 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, इन्हीं का क्षमता विस्तार कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने कहा था कि केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया है। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.37 (2.51-2.14) लाख हेक्टेयर का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है। इसी तरह केन नदी पर एक रनगवां बांध बनाया गया है। रबी सीजन में इसमें से 1,019 एमसीएम (36 टीएमसी) पानी यूपी को देने का करार किया गया है। लेकिन आलम ये है कि दस्तावेजों के मुताबिक पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश इसमें से औसतन महज 39 एमसीएम पानी ही इस्तेमाल कर पाया है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां ये देखा है कि इन क्षेत्रों में पहले से ही बनीं परियोजनाओं की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि सिंचाई का ख़्वाब दिखाने के बाद प्रोजेक्ट से उतनी सिंचाई नहीं हो पा रही है, जितने का लक्ष्य रखा गया था। इन्हीं आधार पर सीईसी ने सिफारिश की थी कि नए बांध और इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना पूर्ववर्ती योजनाओं का क्षमता विस्तार कर पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। हालांकि इन सब तथ्यों को सिरे से खारिज करते हुए मोदी सरकार ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की डील साइन कर दी है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के महानिदेशक ने 22 जून 2020 को वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव को पत्र लिखकर परियोजना के लिए दी गई वन मंजूरी की शर्तो में ढील देने की मांग की। हालांकि यहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस मामले को लेकर सरकार की बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है पिछले करीब दो सालों में इस परियोजना को लेकर जितनी बैठकें हुई हैं, संभवतः हर एक में पर्यावरण मंत्रालय की शर्तो पर ढील दिलाने पर चर्चा हुई है।

दस्तावेजों से यह भी खुलासा होता है कि मध्यप्रदेश सरकार और एनडब्ल्यूडीए ने

44 हज़ार करोड़ होगी परियोजना की लागत

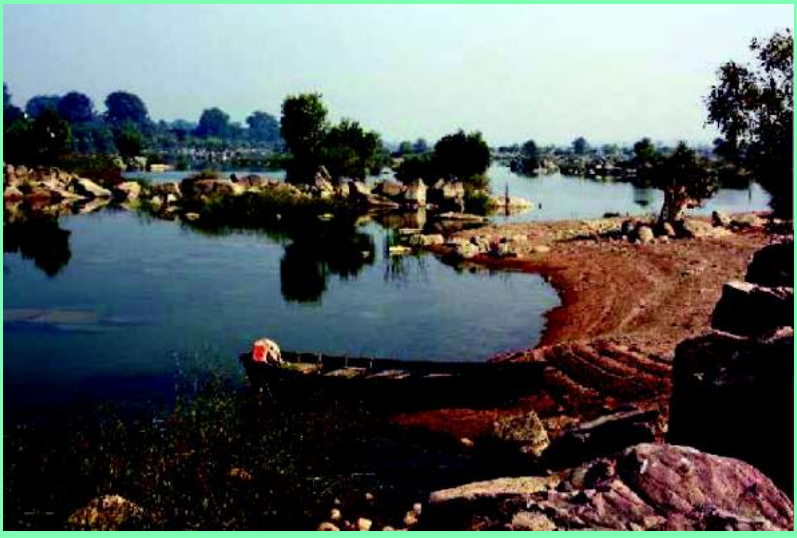

केन नदी मध्यप्रदेश के जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की ओर बहने के बाद उत्तरप्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। बेतवा नदी मध्यप्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तरप्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिलती है। लगभग 44 हजार करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले केन-बेतवा लिंक में उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के हिस्से शामिल हैं। इस परियोजना के तहत मध्यप्रदेश से केन नदी के अतिरिक्त पानी को 231 किमी लंबी एक नहर के जरिये उत्तरप्रदेश में बेतवा नदी तक लाया जाएगा। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का काम मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सरकारें शुरू कर चुकी हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए नहरों एवं बांधों के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो चुका है और डूब क्षेत्र भी तैयार हो रहा है।

सात हज़ार लोग होंगे प्रभावित- उत्तरप्रदेश को केन नदी का अतिरिक्त पानी देने के बाद मध्यप्रदेश करीब इतना ही पानी बेतवा की ऊपरी धारा से निकाल लेगा। परियोजना के दूसरे चरण में मध्यप्रदेश चार बांध बनाकर रायसेन और विदिशा जिलों में नहरें बिछाकर सिंचाई का इन्तजाम करेगा। केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना की राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की रिपोर्ट के अनुसार डोढ़न गाँव के निकट 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बांध बनाया जाएगा। इसके डूब क्षेत्र में छतरपुर जिले के बारह गांव आएंगे। पांच गांव आंशिक व सात गांव पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। इस क्षेत्र के 7000 लोग प्रभावित व विस्थापित हो जायेंगे। जानकार दावा करते हैं कि परियोजना में सबसे बड़ी अड़चन प्राकृतिक है क्योंकि शताब्दियों पहले नदियों का एक स्वाभाविक ढाल बना, जिसे कृत्रिम तरीके से बदलना सम्भव नहीं है।

शुरुआती दौर से ही राज्यों में मतभेद- केन बेतवा के जुड़ने से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यहां बाघों के प्रजनन, आहार एवं आवास व प्रवास को लेकर भी सरकार चुप है। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच एक तरह के जल विवाद की भी संभावना हमेशा बनी रहेगी क्योंकि परियोजना के शुरू होने से पहले ही दोनों राज्यों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए थे और इन्हीं मतभेदों के कारण कई वर्ष तक परियोजना अधर में लटकी थी। विवादों और विरोधों के बीच शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट के बताये जा रहे लाभों को लेकर पर्यावरणविद सशंकित हैं।

4000 तालाबों का जीणोद्धार होता तो बेहतर होता

गौरतलब है कि अकेले बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 4000 से भी ज़्यादा तालाब हैं और इनमें से आधे तालाब कई किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल के हैं। यह ही सत्य है कि बुंदेलखंड देश के अत्यधिक पिछड़े हुए इलाकों में से एक है, यदि यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करना है तो सरकार को इन तालाबों को गहरा करने व उनकी मरम्मत पर विचार करना चाहिए। यदि इन सभी तालाबों को सँवार लिया जाए तो इन नदियों को जोड़ने की ज़रूरत तो रह ही नहीं जाएगी और कई हजार करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च होने से भी बच जाएँगे। इस परियोजना को पूरा करने का समय 10 साल बताया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण और वन भूमि में निर्माण कार्य की स्वीकृति में जो अड़चनें आती हैं, उनके चलते यह परियोजना 20-25 साल से पहले सम्पूर्ण नहीं हो पाएगी। भारत में नदियों को जोड़ने की पहली पहल ऑर्थर कॉटन ने की थी। लेकिन फिरंगी हुकूमत का नदियों को जोड़ने का मकसद देश में गुलामी के शिकंजे को और मज़बूत करने के साथ, बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा का दोहन करना था। हालाँकि आज़ादी के बाद भी नदियों को जोड़ने की माँग होती रही है लेकिन अब तक इस परियोजना को अमल में नहीं लाया गया है क्योंकि इस परियोजना को अमल में लाने में व्यापक चुनौतियाँ तो हैं ही, साथ में यदि यह परियोजना अमल में लाई जाती हैं, तो नदियों की अविरलता खत्म होने की आशंका भी है। यदि नदियों को जोड़ो अभियान के तहत केन–बेतवा नदियाँ जुड़ जाती हैं तो इनकी अविरल बहने वाली धारा टूट सकती है। उत्तराखण्ड में गंगा नदी पर टिहरी बांध बनने के बाद एक तरफ तो गंगा की अविरलता प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तराखण्ड में बादल फटने और भूस्खलन की आपदाएँ बढ़ गई हैं। लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने इससे कोई सीख नहीं लिया है। एक तथ्य यह भी है कि केन की सहायक नदियाँ जैसे बन्ने, केल, उर्मिल, धसान आदि वर्षा के मौसम में पानी से लबालब भर जाती हैं। यदि केन को उसकी सहायक नदियों से जोड़ा जाए तो शायद पानी की समस्या का कारगर उपाय निकल सकता है।

मिलकर जिस 4,206 हेक्टेयर जमीन को गैर-वनभूमि बताकर वन विभाग को देने की बात की है, उसमें से 823 हेक्टेयर जमीन स्थानीय लोगों की है, जहां वे रहते हैं और इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्रालय को नहीं दी गई है।

वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ने को लेकर भी टाल-मटोल- जल शक्ति मंत्रालय ने सिर्फ वन क्षेत्र ही नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के नौरादेही एवं रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तरप्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को पन्ना टाइगर रिजर्व में मिलाने या इसके साथ जोड़ने के बाद परियोजना के कार्यों को शुरू करने की शर्त में भी ढील देने की मांग की थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की 39वीं बैठक में इस परियोजना के चलते बाघों के निवास स्थान के 105 स्क्वॉयर किमी क्षेत्र खत्म होने को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी। इसलिए एनटीसीए ने मध्य प्रदेश के नौरादेही एवं रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तरप्रदेश के

रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को पन्ना टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए कहा था। अभ्यारण्य जोड़ने के साथ-साथ ही छतरपुर और दक्षिण पन्ना डिवीजन के क्षेत्र को पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा गया था, क्योंकि यहां पर पहले से ही बाघों का ठिकाना रहा है। हालांकि वर्तमान में कोई भी पर्याप्त आंकड़ा नहीं है जो यह साबित कर सके कि केन-बेतवा परियोजना के तहत बाघों के मौजूदा रहवास क्षेत्र को बर्बाद करने के बाद अभ्यारण्य वगैरह जोड़कर इसे बचाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इन सबके चलते यहां तेजी से बाघ गायब होने लगेंगे। सरकार द्वारा मुहैया कराई सूचनाओं से पता चलता

नदी जोड़ो अभियान से क्या नुकसान?

हर परियोजना के लाभ और साथ ही कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। नदिया शुरू से हमारे प्रकृति का अभिन्न अंग मानी जाती रहीं हैं तथा इनमें किसी भी प्रकार का मानव हस्तक्षेप विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। नदी जोड़ो परियोजना को पूरा करने हेतु कई बड़े बाँध, नहरें और जलाशय बनाने होंगे जिससे आस पास की भूमि दलदली हो जाएगी और कृषि योग्य नहीं रहेगी। इससे खाद्यान उत्पादन में भी कमी आ सकती है। कहाँ से कितना पानी लाना है, किस नहर को स्थानांतरित करना है, इसके लिए पर्याप्त अध्ययन और शोध करना अनिवार्य है। देखा जाए तो 2001 में इस परियोजना की लागत 5 लाख साठ हजार करोड़ आंकी गई थी परन्तु वास्तविक में इससे कई ज्यादा होने की संभावना है।

नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान होगा। किसानों को भी लाभ होगा आदि। नदी जोड़ो परियोजना एक सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे किसानों को खेती के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही बाढ़ या सूखे के समय पानी की अधिकता या कमी को दूर किया जा सकेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में जितना भी पानी उपलब्ध है उसका केवल चार फीसदी ही भारत के पास है और भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 फीसदी है। परन्तु हर साल करोड़ों क्यूबिक क्यूसेक पानी बहकर समुद्र में चला जाता है और भारत को केवल 4 फीसदी पानी से ही अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। हर योजना के दो पक्ष होते हैं परन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसका लाभ कितना अधिकाधिक लोगों तक पहुंचेगा।

नदी जोड़ो परियोजना का इतिहास- नदी जोड़ो परियोजना पर काफी लंबे समय से विचार–विमर्श चल रहा है। भारत में जिन क्षेत्रों की नदियों में अधिक पानी है और जिनमें कम पानी है उनको जोड़ने का सुजाव काफी समय से हो रहा है।

- **सबसे पहले नदियों को जोड़ने का विचार 150 वर्ष पूर्व 1919 में मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।**
- **1960 में फिर तत्कालीन उर्जा और सिंचाई राज्यमंत्री केएल राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के विचार को पेश कर इस विचार धरा को फिर से जीवित कर दिया था।**
- **पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर, 2002 में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस योजना को शीघ्रता से पूरा करने को कहा और साथ ही 2003 तक इस पर प्लान बनाने को कहा और 2016 तक इसको पूरा करने पर ज़ोर दिया गया था।**
- **पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था और यह अनुमान लगाया गया था कि इस परियोजना में लगभग 5,60,000 करोड़ रुपयों की लागत आएगी।**
- **2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध तरीके से अमल करके शुरू किया जाए ताकि समय ज्यादा बढ़ने की वजह से इसकी लागत और न बढ़ जाए।**

केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया था। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.38 लाख हेक्टेयर (2.52 लाख हेक्टेयर 2.41 लाख हेक्टेयर) का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है।

है कि टाइगर रिजर्व की बाउंड्री से नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य 108.2 किमी, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य 102.1 किमी और रानीपुर अभ्यारण्य 73.8 किमी है।

सरकार का दावा है कि इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसमें से मध्यप्रदेश का 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश का 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है। हालांकि केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया था। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.38 लाख हेक्टेयर (2.52 लाख हेक्टेयर 2.41 लाख हेक्टेयर) का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है। इसके अलावा एनडब्ल्यूडीए द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि केन बेसिन में पहले से ही 11 बड़े और मध्यम परियोजनाएं तथा 171 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। इस आधार पर सीईसी ने सिफारिश की थी कि दौधन बांध को बनाए बिना और इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना पूर्ववर्ती योजनाओं का क्षमता विस्तार कर जरूरतों को पूरी किया जा सकता है। हालांकि इन सब तथ्यों को सिरे से खारिज करते हुए मोदी सरकार ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की डील साइन कर दी है।

दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केन-बेतवा प्रोजेक्ट के तहत सरकार जितनी ज़मीन प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में दिखा रही है, उसमें से भी काफ़ी स्थानीय निवासियों की निजी भूमि है। केन नदी से करीब दौधन गांव है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर में स्थित है। गांव में बड़ी संख्या में आदिवासी भी हैं, इस नदी और इससे सटे जंगल पर निर्भर हैं। वे यह बात सुनकर सिहर उठते हैं कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के नाम पर अब यहां पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा, जिसके चलते उन्हें हटाया जाएगा और लाखों की संख्या में पेड़ कटेंगे। स्थानीय गांववालों का जीवन इन्हीं जंगलों से चलता था। महुआ बीनते हैं, लकड़ियां बेचते हैं, बांस काटते हैं। इन पेड़ों को काटने से जो नुकसान होगा,

यूपीए सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी

कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसने फिर से तेजी पकड़ी, क्योंकि इस परियोजना की परिकल्पना के तार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से जुड़ते हैं। केंद्र ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की भीष्म प्रतिज्ञा और ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के दो-तीन साल के भीतर सारे जरूरी विभागों से मंजूरी दिलवा दी।

उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उन शर्तो में भी ढील दिलाने की कोशिश की जिसके आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को प्रथम स्तर की वन मंजूरी प्रदान नहीं कर पा रही थी। सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वे भरपाई के लिए उतनी उचित जमीन नहीं ढूंढ पाए हैं, जितने क्षेत्र के पेड़ों को काटा जाएगा। इतना ही नहीं, वन भूमि के बदले अन्य जगह की भूमि देने के लिए जितने क्षेत्र की पहचान हुई है, उसमें से काफी जमीन सरकार की नहीं, बल्कि स्थानीय निवासियों की है।

केन-बेतवा लिंक परियोजनाः विकास और विस्थापन के मुंहाने पर ग्रामीण

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्यप्रदेश के छतरपुर ज़िले में 10 गांवों को विस्थापित किया जाना है। पहले से ही तमाम बुनियादी सुविधाओं के बिना चल रही उनकी ज़िंदगी को यह प्रोजेक्ट यातनागृह में तब्दील कर देगा। उन्हें यह डर भी है कि तमाम अन्य परियोजनाओं की तरह उन्हें उचित मुआवज़ा नहीं मिलेगा। विडंबना ये है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 44,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि खर्च कर बांध, बैराज, नहर, पावरहाउस इत्यादि बनाए जाने हैं, लेकिन इस कार्य के लिए जिनकी जमीनें ली जाएंगी। उन्हें आज तक एक अदद मोबाइल टावर भी नसीब नहीं हो सका। मोदी सरकार की तमाम योजनाएं जैसे कि आवास, शौचालय, उजवला, बिजली, डिजिटल इंडिया इत्यादि की यहां कोई पहुंच

नहीं है। मनरेगा के तहत भी लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी, जिसके जरिये केन का पानी बेतवा बेसिन में लाया जाएगा। साथ ही 1.9 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लंबी दो सुरंग भी बनाई जाएगी। इस बांध के बनने के चलते 9,000 हेक्टेयर भूमि डूबेगी, जिसमें से सबसे यादा 5,803 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व का होगा। इसी रिजर्व क्षेत्र में दौधन गांव स्थित है, नतीजतन यह भी डूबेगा।

उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सहमति ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले दोनों राज्यों के बीच साल 2005 में इस परियोजना को लेकर समझौता ज्ञापन साइन किया गया था। बाद में सरकारें आती-जाती रहीं, लेकिन कई कारणों से ये परियोजना लंबित ही रही।

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इस दलील पर आधारित है कि केन नदी में पानी की मात्रा यादा है, इसलिए दोनों नदियों को जोड़कर केन के पानी को बेतवा में पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। वैसे तो केन और बेतवा दोनों नदियां प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो अंत में जाकर यमुना में मिल जाती हैं लेकिन सरकार जिस कृत्रिम तरीके से इन्हें जोड़ना चाह रही है, उसे विशेषज्ञों ने विनाशकारी बताया है। सरकार ने अभी तक न तो उन आंकड़ों को

सार्वजनिक किया है और न ही इसकी स्वतंत्र विशेषज्ञों से जांच कराई गई है, जिसके आधार पर वे केन में पानी यादा होने का दावा कर रहे हैं।

इस परियोजना को लागू करने के लिए 6,017 हेक्टेयर वनभूमि को खत्म किया जाएगा, जो कि दस या बीस नहीं, बल्कि 8,427 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसके चलते कम से कम 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मुंबई की आरे कॉलोनी में काटे गए पेड़ों की तुलना में एक हजार गुना (1,078) अधिक पेड़ यहां काटे जाएंगे। मेट्रो कार शेड बनाने के लिए साल 2020 में आरे कॉलोनी में 2,135 पेड़ काटने के चलते व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, न्यायालयों में याचिकाएं दायर हुई, मीडिया ने खूब कवरेज भी किया, जिसके चलते चुनाव के बाद शिवसेना सरकार को फैसले को पलटना पड़ा था। पन्ना के जंगलों में सागौन, महुआ, बेलपत्र, आचार, जामुन, खैर, कहवा, शीशम, जंगल जलेबी, गुली, आंवला समेत अन्य प्रमुख प्रजातियों के बड़े पेड़ हैं। इसके साथ-साथ यहां घड़ियाल अभ्यारण्य और गिद्धों का प्रजनन केंद्र भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

करीब 11 साल पहले ही आरटीआई आवेदन दायर कर इस प्रोजेक्ट को लागू कर रही जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) से प्रभावित लोगों के विस्थापन के बारे में जानकारी मांगी थी। जो जवाब मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे। एनडब्ल्यूडीए ने एक जुलाई 2010 को भेजे अपने जवाब में कहा था कि 10 में से चार गांवों (मैनारी, खरयानी, पलकोहा और दौधन) को पूर्व में ही विस्थापित कराया जा चुका है। गांव वाले इस सरकारी कागज को लेकर एकदम अचंभित हैं, उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगता है। वे कहते हैं, हमें तो इसकी हवा तक नहीं लगी। हम

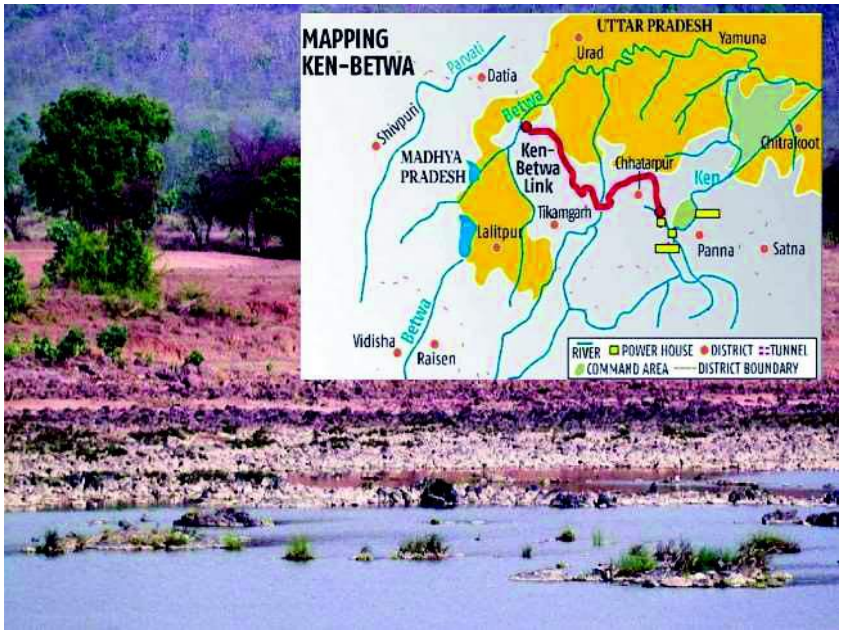

चाहते हैं कि इसकी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि हमारा गांव पूरी तरह आबाद है, हमें एक पैसा भी नहीं मिला है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2013 के कानून के तहत प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाएगा, जो राज्य सरकार को करना है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सहमति ज्ञापन में कहा गया है, संबंधित राज्य सरकारें अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुन- स्थापना तथा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य, पुनर्वास एवं पुन- स्थापना अधिनियम, 2013 या संबंधित राय नीति के अनुसार या अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से करेंगी।

दस्तावेज दर्शाते हैं कि 10 गांवों के कुल 1913 परिवारों के 8339 लोगों को विस्थापित किया जाना है। हालांकि ग्रामीणों का मानना है कि ये आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि जब ये आंकलन कराया गया होगा, तब से लेकर अब तक परिवारों एवं लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी है। सरकार का ये आंकलन साल 2011 की जनगणना पर आधारित है। जाहिर है कि इसी साल 2021 में होने वाली जनगणना में यहां के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। केन-बेतवा परियोजना पर तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में आई थी। इसके मुताबिक साल 2013 के कानून के तहत पुनर्वास एवं पुन- स्थापना में 248.84 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। यदि विस्थापित होने वालों के सरकारी आंकड़े को मानते हैं, तब भी इस हिसाब से प्रति व्यक्ति को विस्थापित करने में महज 2.98 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह गांव वालों की उम्मीद से काफी कम है। वहीं दस्तावेजों के मुताबिक परियोजना के तहत दौधन बांध बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने में करीब 324 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साल 2017-18 के मूल्य स्तर के आधार पर पूरे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में 35,111 करोड़ रुपये खर्च बताया गया था।

प्रदेश में नई शराब नीति 01 अप्रैल से लागू

क्या देवड़ा ने राजस्व बढ़ाने के लिए दिये गलत आंकड़े?

विजया/समता पाठक

मध्यप्रदेश की सियासत में 01 अप्रैल 2022 से लागू हुई नई शराब नीति को लेकर चर्चाओं का दौर गरम है। दरअसल जो शिवराज सरकार एक समय शराब के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी हुई थी वही शिवराज सरकार अब घर-घर शराब पहुंचाने की तैयारी कर रही है। नई शराब नीति को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा साफ है कि उसे राजस्व में बढ़ोत्तरी करना है। अब वो बढ़ोत्तरी चाहे नई शराब नीति से हो या फिर दूसरे तरीके से। खैर किसी भी राज्य में सरकार के संचालन के लिए राजस्व का होना जरूरी है। लेकिन शिवराज सरकार में राजस्व का मतलब सिर्फ एक ही माना जा रहा है वो शराब नीति।

गलत आंकड़ों से मुख्यमंत्री को धोखे में रख रहे देवड़ा

देखा जाए तो जगदीश देवड़ा प्रदेश के वित्तमंत्री हैं। यहां तक कि देवड़ा ने मुख्यमंत्री को भी धोखे में रखा हुआ और वो हर बैठक में सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नई शराब नीति लागू होने के बाद प्रदेश के राजस्व में निश्चित तौर पर बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह बात समझना होगी कि शराब की बिक्री अधिक होने से राजस्व में बढ़ोत्तरी तो होगी, लेकिन इस शराब के सेवन से घरों में जो कलह पैदा होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। घरेलू हिंसाएं जो बढ़ेगी क्या उसकी जिम्मेदारी वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा लेंगे। छेड़छाड़, मारपीट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं जो बढ़ेगी क्या उसकी जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा और उनका मंत्रालय लेगा। अगर नहीं तो फिर क्यों जनता के मुंह में जबरदस्ती शराब ठूंसने का घटिया कार्य करने की आवश्यकता है।

ऐसा कुछ करो कि सिर्फ राजस्व बढ़े

मध्यप्रदेश सरकार को अगर अपना राजस्व बढ़ाने की ही चिंता है तो वो शराब की कीमतों में बढ़ोत्तरी क्यों नहीं कर देती। बढ़ोत्तरी करने से राजस्व में तो इजाफा होगा ही, साथ में लोग सीमित संख्या में शराब का सेवन करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर

पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है तो, पेट्रोल का उपयोग लोग कर तो रहे हैं, लेकिन सीमित मात्रा में गाड़ियों का संचालन हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस फॉर्मूले को अपनाकर शराब नीति को लागू करे तो निश्चित ही इससे जनता के साथ-साथ सरकार को फायदा भी होगा।

मध्यप्रदेश में नई आबकारी नीति मामले पर एक तरफ विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी में भी दो राय बनी हुई है, जो राज्य सरकार के लिए गले की हड्डी बनते दिख रही है। राज्य में रोजाना 07 लाख लीटर शराब बिकती है। इस हिसाब से सालाना बिक्री करीब 25.50 करोड़ लीटर है। लीटर के हिसाब से यह बढ़ोतरी 30 रुपए के आसपास होगी। सरकार की रोजाना कमाई 2.10 करोड़ ज्यादा होगी। एक अनुमान के अनुसार शराब से सरकार को साल भर में केवल 10-11 हजार करोड़ की कमाई होती है। केवल इतनी सी रकम के लिए सरकार समाज के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। वैसे भी सरकार इस कमाई की भरपाई कई मदों से कर सकती है। यदि शराब से करेगी तो इसका असर हमारी पूरी समाज पर पड़ता है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शराब नीति को लेकर सवाल उठाये

प्रदेश में शराब की दुकानें ना बढ़ाने का वादा करने वाली सरकार खुद इसे बढ़ावा दे रही है। सरकार की नई शराब नीति के मुताबिक प्रदेश में देसी और विदेशी शराब एमआरपी से करीब बीस फीसदी तक कम दामों पर मिलेगी और अब देशी-विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिल पाएगी। 01 अप्रैल 2022 से सुपर बाजार में भी वाईन की बिक्री होगी। इसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित पूरी एमपी कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश की जनता त्रस्त है। किसान, युवा, महिलाएं हर वर्ग सरकार से परेशान है। शिवराज सिंह चौहान के पास एक ही रास्ता बचा है कि आम जनता को पिलाओ और सुलाओ ताकि वो सच्चाई न जान सके।

अभी प्रदेश में देसी शराब की 2544 और विदेशी शराब की 1061 अधिकृत दुकानें हैं। शिवराज की नई नीति के मुताविक अब देसी शराब की दुकान पर विदेशी और विदेशी शराब की दुकान पर देसी शराब भी बेची जाएगी।

शराब को सरकार सिर्फ 5 रुपए महंगी कर दें तो 3.30 रु. लीटर सस्ता हो सकता है पेट्रोल

साल भर में शराब सिर्फ एक बार महंगी, पेट्रोल-डीजल 100 बार से ज्यादा

मध्यप्रदेश सरकार अगर शराब की लाइसेंस फीस केवल 9.30 फीसदी बढ़ा दे तो वह पेट्रोल 3.30 रुपए तक सस्ता कर सकती है। अभी वह हर लीटर पर 04 रुपए एडिशनल टैक्स ले रही है। राज्य में हर साल 230 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकता है। इस फिक्स टैक्स से उसे 920 करोड़ मिलते हैं। एडिशनल टैक्स 70 पैसे घटने से सरकार की कमाई घटकर 154 करोड़ ही रह जाएगी। घटे राजस्व की भरपाई वह शराब के राजस्व से हो जाएगी। सरकार को ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पिछले 07 साल में सरकार की शराब से कमाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी पेट्रोल डीजल से बढ़ी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर पेट्रोल के दाम एक साल में 100 बार बढ़ाए जा सकते हैं तो शराब की लाइसेंस फीस एक और बार बढ़ाने में क्या परेशानी? 05 साल पहले तक सरकार को शराब से ज्यादा राजस्व मिलता था, लेकिन अब कमाई पेट्रो पदार्थो सें ज्यादा हो रही है। शराब की खपत 06 फीसदी और पेट्रोल-डीजल की खपत 05 फीसदी की दर से बढ़ती है। ऐसे में पेट्रोल के दाम घटाकर सरकार एक बड़ी आबादी को राहत प्रदान करेगी। बेशक वह अपनी लाइसेंस फीस बढ़ाकर शराब से कमाई बढ़ाए। सालाना आधार पर शराब की खपत 08 फीसदी की दर से बढ़ रही है।

अब शराब की दुकानों की जगह भी बदली जा सकेगी ताकि बिक्री पर कोई विपरीत असर न पड़े। आखिर आमदनी में बीस फीसदी बढ़ोत्तरी जो करनी है। कुल मिलाकर नई आबकारी नीति के जरिये शिवराज सरकार दस हजार करोड़ का घाटा पूरा करना चाहती है। इसके लिए वह हर संभव कोशिश करेगी। उमा भारती की मांग उसके लिए कोई मायने नही रखती है। शिवराज ने बिना कुछ कहे उमा को यह संदेश दे दिया है कि जो करना है सो करो। सरकार को कोई फर्क नही पड़ता।

मप्र में हैं 4500 से अधिक करोड़पति

सरकार सबसे बड़ा तोहफा प्रदेश के करोड़पतियों को दे रही है। अब वे अपने घर में अपना निजी बार खोल सकेंगे। इसके लिए उन्हें हर साल सरकार को पचास हजार रुपये देने होंगे। मप्र में एक करोड़ रुपये से ज्यादा का आयकर रिटर्न जमा करने वाले लोगों की संख्या लगभग 45 सौ से अधिक हैं। ऐसे लोग 50 हजार रुपये की लायसेंस फीस जमा कर होमबार लायसेंस ले सकते हैं।

क्या सरकार की आर्थिक नीति का आधार है शराब को प्रोत्साहन

राज्य सरकारें राजस्व के लिए मुख्यतः प्रापर्टी, शराब, पेट्रोल डीजल और बिजली पर निर्भर हो गए हैं क्योंकि अन्य उत्पाद अब जीएसटी के तहत होने से जीएसटी बढ़ेगी तो राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इसलिए आसान उपायों की ओर रुख किया जाता है, फिर चाहे आम जनता के हित में हो या न हो। प्रापर्टी का मार्केट वैसे ही सिसक रहा है तो दूसरी तरफ बिजली, पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ाना राजनीतिक रुप से कमजोर करता है, सो सबसे सरल उपाय शराब के रूप में आर्थिक विकास क्यों न अपनाया जाए।

आज राज्य सरकार पर करीब 2.68 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसके इस साल के अंत तक 03 लाख करोड़ रुपये होने की पूरी संभावना है। यानि हर एक राज्य के नागरिक पर कर्ज 34,000 रुपये से बढ़कर 40,000 रुपये होने वाला है। ऐसे में कर्ज में डूबी इस सरकार को राजस्व पूर्ति के लिए शराब जैसी सामाजिक विरोधी चीजों पर आस रखना और अर्थ नीति बनाना मजबूरी और दुर्भाग्यपूर्ण से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि क्या राजस्व कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि सरकारें समाज विरोधी सामग्री बेचने से अपनी आमदनी अर्जित कर सरकारी खर्चे चलाएं? ऐसे में कुछ समय में हर सरकार जुआ, चोरी और डकैती को भी कानूनी जामा पहना देगी तो हम क्या समाजिक कुरीतियों पर चलेंगे? कुरीतियों पर चलकर ही यदि सरकार को सहयोग करना कहेंगे तो फिर खूब पिएँ और पिलाएं शराब।

असफल वित्तमंत्री का असफल बजट

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने पढ़ा मध्यप्रदेश का हवा-हवाई बजट

विजया पाठक

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के चौथे कार्यकाल का दूसरा बजट मप्र विधानसभा में पेश किया गया। प्रदेश का यह बजट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने पढ़ा। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कुल 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। लेकिन देखा जाए तो यह पूरा बजट आम आदमी की परेशानियों को कहीं से कहीं तक दूर करता दिखाई नहीं पड़ रहा। भले राज्य सरकार इसे आम आदमी के हित में बता रही हो। लेकिन यह वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा की नाकामी का परिणाम है कि वे इस पूरे बजट को जनता के हित के अनुरूप नहीं तैयार कर पाए। इस बजट में मंत्री देवड़ा ने लग्जरी कार के लिये 225.88 करोड़ बजट में रखे हैं जो कि पिछली बार से 200 करोड़ रूपये ज्यादा है। और तो और 37 लाख लोगों की पेंशन का बजट 133 करोड़ घटा दिया गया। देवड़ा जी ने तो किसान कल्याण और कृषि विकास में खाद और उर्वरक के लिये 2021-22 के बजट से 24 हजार करोड़ कम कर दिया। किसान तो अब मंत्री देवड़ा के बजट में प्राथमिकता में ही नही रहा। हास्यास्पद है कि कृषि बजट तो बढ़ाया पर जरूरी संसाधनों पर पैसा कम कर दिया

गया। लगता है कि मंत्री जी बीज और यूरिया की जगह ड्रोन और ऐसे अनावश्ययक चीजों से खेती किसानी करवायेगी। बजट में सिर्फ औपचारिकता भर की गई है। प्रदेश के बुनियादी मुददों या जरूरतों पर ध्यान ही नहीं दिया गया था। प्रदेश की जनता ने आस लगाई थी कि इस बजट में शिवराज सरकार आमजन का ख्याल रखेगी और बेरोजगारी एवं मंहगाई पर कुछ राहत जरूर देगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस समय पूरा प्रदेश मंहगाई और बेरोजगारी से त्राहि-त्राहि कर रहा है। लोगों को खाने तक के लाले पड़े हैं।

वित्तमंत्री देवड़ा की असफलता का पता इस बात से भी लगता है कि उन्होंने पूरे बजट भाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं था कि इस वर्ष का बजट मध्यप्रदेश के आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय को कहां पहुंचाएगा। बजट में इस बात का उल्लेख भी नहीं है कि जो मध्यप्रदेश में 40 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, उससे आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी। पूरे बजट में केवल घोषणाएं हैं कि सरकार यह फैसले लेने जा रही है, सरकार वो काम करने जा रही है बगैरह...बगरैह। वित्तमंत्री जी आपको यह बात मालूम होना चाहिए बजट भाषण में कही गई आपकी बात प्रदेश की जनता की तकदीर बदलने का कार्य करती है।

बजट में इस बात का उल्लेख भी नहीं है कि जो मध्यप्रदेश में ४० प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, उससे आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी। पूरे बजट में केवल घोषणाएं हैं कि सरकार यह फैसले लेने जा रही है, सरकार वो काम करने जा रही है बगैरह...बगरैह। वित्तमंत्री जी आपको यह बात मालूम होना चाहिए बजट भाषण में कही गई आपकी बात प्रदेश की जनता की तकदीर बदलने का कार्य करती है।

सिर्फ रोजगार देने की बाते करते हैं, होता कुछ नहीं- बजट भाषण में देवड़ा ने लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। लेकिन हकीकत यह है कि रोजगार केवल कुछ लोगों ही मिल पाता है। इसलिए बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश में बेरोजगारी दर पर कोई बात ही नहीं की। यही नहीं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए के बजट का

प्रावधान किया गया। लेकिन सच तो यह है कि अगर आज कोई स्व-रोजगार के लिए शासकीय कार्यालय में आवेदन करता है तो उसे स्वरोजगार खड़ा करते करते दो चार साल लग जाते हैं। अंत में आलम यह होता है कि आवेदनकर्ता थक-हार कर वापस लौट जाता है और यही वजह है प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ने की, जिस पर वित्तमंत्री ने कोई बात ही नहीं की।

इन विषयों पर भी साधी चुप्पी- जब पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें 15 से 20 प्रतिशत बढ़ेगी तो इस महंगाई से आम आदमी की कमर टूट जाएगी। इसका उत्तर बजट भाषण में कहीं नहीं है। नर्मदा घाटी विकास और अटल पथ के बहुप्रचारित योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेश में 50 प्रतिशत ओबीसी और 30 प्रतिशत एससी-एसटी जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

> *पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें 15 से 20 प्रतिशत बढ़ेगी तो इस महंगाई से आम आदमी की कमर टूट जाएगी।*

संवेदनशीलता दिखाते शिवराज- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवेदनशील हैं। उन्हें आमजनों की परेशानियों का ख्याल रहता है। समय समय पर शिवराज आमजनों को राहत देने का ऐलान भी करते हैं लेकिन इस बार के बजट में कैसे वह कुछ भी राहत लोगों को नहीं दे पाए जबकि सबको पता है कि इस समय प्रदेशवासी काफी परेशानी में हैं। लोगों को राहत की बहुत जरूरत है।

वित्त विभाग से कैसे लीक हुआ बजट- किसी भी राज्य का बजट उस प्रदेश के जनता की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य करता है। इसलिए इस बजट को सदन में पेश किए जाने से पूर्व गोपनीय रखा जाता है। लेकिन शिवराज सरकार में इस बार बजट में गोपनीयता जैसी कोई बात थी ही नहीं। पहले ही विपक्षी पार्टी के नेताओं और मीडिया को बजट की जानकारी मिल गई थी। ऐसे में अगर वित्त विभाग से बजट लीक हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा की और उनके मंत्रालय की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तुरंत इस पूरे मामले की छानबीन करवाकर जगदीश देवड़ा के खिलाफ कार्रवाही करना चाहिए।

निराशा से भरपूर भूपेश बघेल का बजट

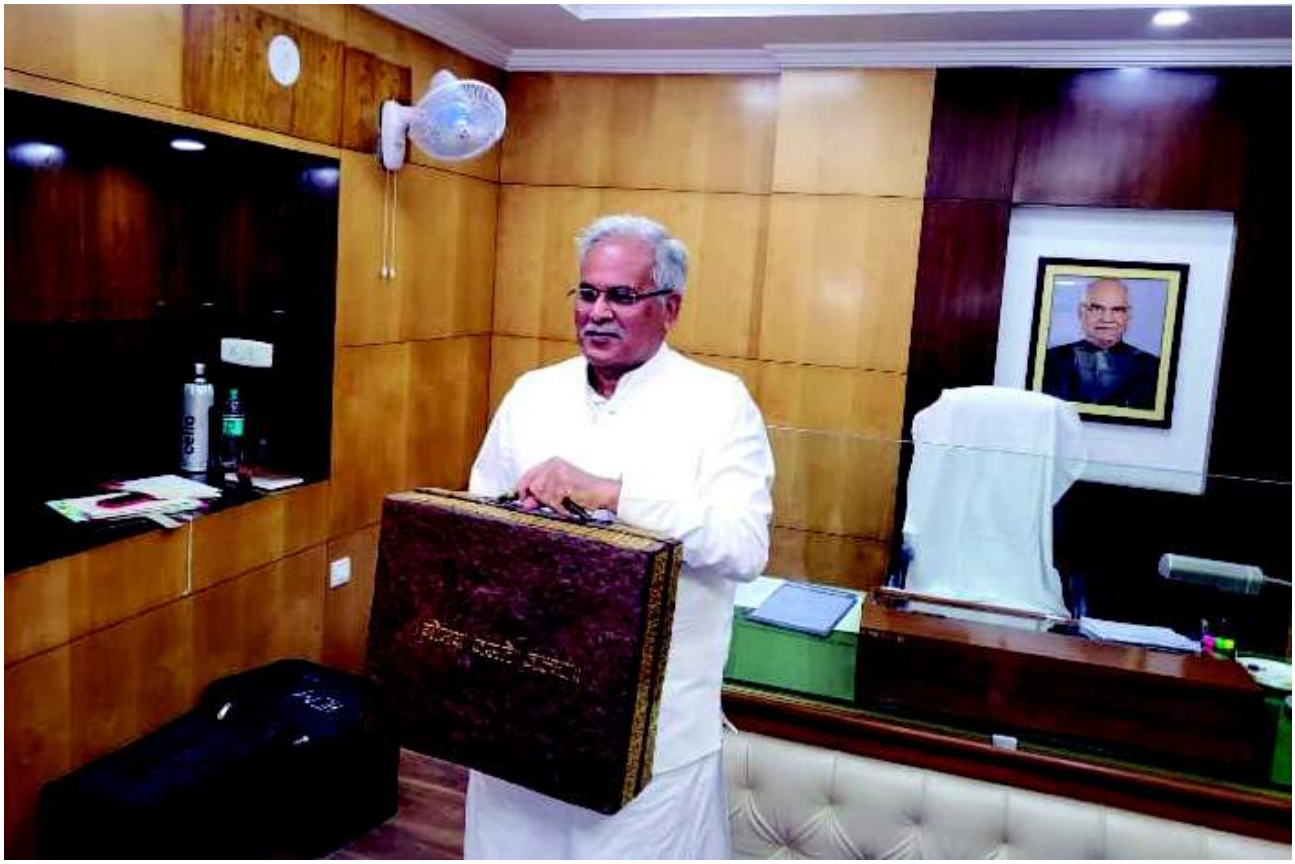

समता पाठक/मणिशंकर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में पेश 2022-23 के बजट पेश किया। इस बजट में प्रदेश में बढ़ रही मंहगाई, बेराजगारी और तमाम परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया गया। वहीं भाजपा नेताओं ने सिर्फ खानापूर्ति बताया है। भाजपा नेताओं ने भूपेश सरकार के चौथे बजट को दिशाहीन और निराशा से भरा बजट करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित अन्य नेताओं ने ट्वीट करके सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि नया रायपुर में सीएम हाउस के लिए 591 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के 20 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए मात्र 02 करोड़ देना इस निकम्मी भूपेश सरकार की नियत को दिखाता है। आदिवासियों के सर्वांगीण विकास, सम्मानजनक जीवन-स्तर और उनकी पूरी सुरक्षा को लेकर यह बजट मौन है। भूपेश सरकार के इस बजट में विकास कोई विजन नहीं दिखता। इस बजट से जनता पूरी तरह निराश है।

छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने वाला बजट- विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बजट सिर्फ खानापूर्ति है। बजट

बेहाल...छत्तीसगढ़ बदहाल...कांग्रेस मालामाल... भूपेश बघेल का यह बजट छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने वाला, विकास अवरुद्ध करने वाला, गरीबों का हक छीनने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ 20 साल पीछे चला जाएगा। किसी भी वर्ग को संतुष्ट करने में सरकार नाकाम रही है। सरकार किसानों की बात करती है, लेकिन किसानों को लेकर कोई भी दूरदृष्टि बजट में दिखाई नहीं दे रही है।

प्रदेश का बजट तो अत्यंत निराशाजनक- भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के आम बजट को अत्यंत निराशाजनक, प्रदेश को कर्ज में डूबाने वाला व विकास विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें से अधिकांश केंद्र सरकार से मिलने वाले राशि से पूरा होना है। बजट में सरकार का नकारापन दिखता है। नक्सलवाद के उन्मूलन को लेकर भी कोई भी योजना सरकार ने नहीं बनाई है।

ठगी के शहंशाह ने सारा शहर ठग लिया- पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि ख्वाब, ख्वाब ही रह गए। शहर खुली आंखों से सपने ही देखते रह गये। ठगी के शहंशाह ने सारा शहर ठग लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रायपुर कब तक उपेक्षित रहेगा। मूणत ने अब तक के चार बजट को लेकर लिखा है कि कर्ज ले लेकर कैसे करोगे छत्तीसगढ़ का ख्वाब पूरा। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से सरकार पर तंज भी कसा है।

भूपेश बघेल अपने पास क्यों रखें है वित्त मंत्रालय?

बजट पेश करने की जिम्मेदारी वित्तमंत्री की होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपने पास ही रख रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते हैं। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से ऐसा नहीं था। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने डॉ. रामचंद्र सिंहदेव को वित्तमंत्री बनाया था। एक नवंबर 2000 को नया राज्य अस्तित्व में आया। नई सरकार बनी थी। ऐसे में पहला वार्षिक बजट 2001 में आया। डॉ. सिंहदेव ने तीन बार बजट पेश किया। 2003 के आखिर में प्रदेश की सत्ता बदली और डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उस समय भी वह परंपरा कायम थी। डॉ. रमन सिंह ने बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री बनाया। इस हैसियत से 2004-05 से 2006-07 तक के तीन बजट अमर अग्रवाल ने पेश किए। उसके बाद अमर अग्रवाल को पद से हटा दिया गया। डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल ली। 2018 में कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रालयों के बंटवारे में पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह का ही अनुसरण किया। वित्त, सामान्य प्रशासन और जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी। 2019 से 2021 तक वे तीन आम बजट पेश कर चुके हैं।

वित्त मंत्रियों की कंजूसी से उठे हैं विवाद- दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कहते थे कि उनके वित्तमंत्री रामचंद्र सिंहदेव इतने सख्त थे कि हर खर्चे के प्रस्ताव पर आपत्ति की उंगली रख देते थे। जोगी कहते थे उनसे सरकारी खजाने से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल काम होता था। हां यह अलग विषय था कि उनका हर फैसला राज्य के हित में होता था। वे सरकारी कोष का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बताया जाता है सिंहदेव के इस रवैये के चलते जोगी सरकार में भी टकराव की स्थिति आई थी।

ममता बनर्जी को कुछ बातों का प्रण करना जरूरी है

नवीन शर्मा

ममता बनर्जी के लिए पूरे दस साल बाद 2021 शानदार रहा। बेहद शानदार कहें तो बेहतर होगा। 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में और 2021 में लगभग वैसी ही परिस्थितियों में कायम रखने में कामयाब रहीं। अब सामने पूरा 2024 है और उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल हो उतना भी मुफीद रहेगा। हाथ-पांव तो ममता बनर्जी ने 2019 में भी खूब मारे थे, लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव की जीत ज्यादा ही आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रही। तभी तो दिल्ली की बड़ी कुर्सी पर नजर जा टिकी है। कांटे तो कुर्सी पर भी होंगे ही, लेकिन पहले रास्ते में भी कंटीला जंगल है जिसे काटकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। ममता बनर्जी खुद को फाइटर बताती हैं और हरदम उसी अंदाज में रहती भी हैं। कई बार हालात लोगों को फाइटर बना देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी मन से फाइटर हैं। ऐसे फाइटर को मौके की ही तलाश नहीं होती, वो किसी भी मौके को अपने लिए पंचिंग बैग बना ही लेता है। कई बार ऐसा बेवजह भी हो जाता है, लिहाजा

नतीजे भी नुकसानदेह ही होते हैं। ममता बनर्जी ऐसी फाइटर हैं जो आगे बढ़ते वक्त टीम से ही आगे निकल जाती हैं। इतना आगे कि मोर्चे पर अकेले पड़ जाती हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से ममता बनर्जी के साथ कदम कदम पर ऐसा ही हो रहा है।

ममता बनर्जी को लगता है कि प्रशांत किशोर और शरद पवार के रूप में उनके पास इंडिया की बेस्ट टीम हो गयी है। रथ पर सवार होकर वो आगे बढ़ती भी है। मानकर चलती हैं डबल सारथी के साथ निकली हैं। एक आगे, एक पीछे। लेकिन जिन्हें सारथी समझती हैं उनकी आंखें तो घोड़ों की तरह ऐसे ढंकी नहीं होतीं कि सिर्फ सामने देखें और अगल बगल नजर न पड़े। रास्ते में मृग मरीचिका नजर आते ही वे भटक जाते हैं।

संघ-बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह से तो बाद में मुकाबला होगा, पहले तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ही लोहा लेना होगा और ये तभी संभव हो पाएगा जब विपक्षी खेमे के बाकी नेताओं की भी ममता बनर्जी की फाइटर छवि में दिलचस्पी बरकरार रहे। जो बीत गया, वो बीत गया। बीत जाने का ये भी मतलब नहीं होता कि कुछ बचा नहीं। बीती बातें अगर सबक नहीं बन पातीं तो आगे भी कोई परिवर्तन नहीं होन वाला। अगर 2024 के लिए एक आम जनमानस के माफिक एक ठोस प्लान के साथ ममता बनर्जी आगे बढ़ती हैं तो सफर भी थोड़ा आसान हो सकता है और मंजिल भी काफी करीब होगी।

इलेक्शन मॉडल नहीं चलेगा

2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाया तो बताने के लिए गुजरात मॉडल हुआ करता था। बेशक ममता बनर्जी भी मोदी की ही तरह लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली का मन बनाया है। बेशक ममता बनर्जी की तीसरी पारी की जीत मोदी के चुनावी सलाहकार रहे प्रशांत किशोर ने ही सुनिश्चित की है और बेशक 2014 में मोदी के लिए चाय पर चर्चा कराने वाले पीके ही आने वाले दिनों में भी ममता बनर्जी को मंजिल तक पहुंचाने का ठेका लिये हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के पास बताने के लिए कौन सा मॉडल है।

ममता बनर्जी को भी मंजिल हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ सकता है

गुजरते वक्त के साथ बीजेपी ने भी गुजरात मॉडल को पीछे छोड़ दिया और जमाने के साथ कदम बढ़ते हुए नया अपग्रेड वर्जन लाया है अयोध्या मॉडल। अयोध्या की ही तरह एक मॉडल वाराणसी मॉडल भी है और पाइपलाइन में मथुरा मॉडल भी है। नाम से भले ही इनमें हिंदुत्व की झलक दिखायी पड़ती हो, लेकिन ममता बनर्जी को समझ लेना चाहिये कि ये ही नये मिजाज के विकास के मॉडल हैं। ऐसा विकास मॉडल जो हिंदुत्व की राजनीति को भी सूट करता हो।

मुकाबले में पेश करने के लिए ममता बनर्जी के पास क्या है?

सिर्फ इलेक्शन मॉडल से अब काम नहीं चलने वाला। सिर्फ यही कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं जो पश्चिम बंगाल में लगातार तीन चुनाव जीत चुकी है। पहली बार तब की सबसे ताकतवर लेफ्ट को शिकस्त देकर और तीसरी बार मौजूदा दौर की सबसे मजबूत बीजेपी को हरा कर। निश्चित तौर पर ये चुनावी जीत का सफलतम मॉडल हो सकता है। ये विपक्षी खेमे में बताने, भरोसा दिलाने और अपनी बात मनवाने के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन बाहर नहीं चलने वाला। सवाल तो ये भी है कि ये विपक्षी खेमे में भी कहां चल पा रहा है? पश्चिम बंगाल के शासन से ममता बनर्जी के पास ऐसा क्या है जो वो बंगाल से बाहर के लोगों को दे सकती हैं या दिखा सकती हैं? ममता बनर्जी को 2024 के लिए ऐसी ही चीजों पर काम करने की जरूरत होगी। जरूरी नहीं कि वो गुजरात या अयोध्या मॉडल जैसा ही हो, लेकिन कोई एक होना तो चाहिये ही।

मिसफिट आइडियोलॉजी भी नहीं

संघ और बीजेपी ने बेहतरीन परसेप्शन मैनेजमेंट के जरिये ऐसा नैरेटिव गढ़ा है कि बाकी सारी आइडियोलॉजी फेल है। राष्ट्रवाद के साथ हिंदुत्व का विकास मॉडल। बस यही नये मिजाज की आइडियोलॉजी है, बाकी सब बेकार किताबी बातें हैं। बाकियों का अकादमिक इस्तेमाल हो सकता है। सेमिनार और ऐसे मिलते जुलते मंचों पर बहस भी की जा सकती है, लेकिन चुनावी राजनीति में तो बाकी सब मिसफिट हैं। मिसफिट आइडियोलॉजी भी नहीं चलेगी। ममता बनर्जी भी समझ ही चुकी होंगी कि अभी का आम जनमानस पहले जैसा नहीं रहा। आगे जो भी हो, लेकिन अभी तो नहीं ही है। जब तक कानून-व्यवस्था की समझ खुद में नहीं बन जाती जब तक लोग सत्ता पक्ष को पूरी तरह सही और बाकियों को पूरी तरह गलत मान लेने की आदत नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी अगर ऐसे मोर्चो पर चूक जाती हैं तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और अगर सटीक काउंटर मेकैनिम नहीं है तो भी भाग दौड़ से कोई फायदा नहीं होने वाला है।

कम्यूनिकेशन स्किल में सुधार भी जरूरी

कम्यूनिकेशन स्किल सिर्फ वही नहीं है जो ममता बनर्जी बंगाली समाज को समझा

लेती हैं और ये भी जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी अगर शुद्ध हिंदी में भाषण नहीं देंगी तब तक कोई समझ नहीं पाएगा। हिंदी बोलना और ठीक से समझना भी जरूरी है। राजनीति में कम्यूनिकेशन स्किल का ज्यादा मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होने से है।

टीम वर्क भी सीखना ही होगा

जब भी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती हैं तो भूल जाती हैं कि वैसे ही सवाल उन पर भी उठते रहे हैं। ममता बनर्जी की राजनीति में टीम वर्क हमेशा ही चुनौती पूर्ण रहा है। मजबूरी में ही ममता बनर्जी भी किसी के साथ होती हैं और कोई और भी उनके साथ मजबूरी में ही होता है। पश्चिम बंगाल में चूंकि वही नेता हैं, लिहाजा सारे मातहत सुनकर चुप हो जाते हैं। करें भी तो क्या करें, लेकिन गठबंधन की राजनीति में कोई किसी को ऐसे बर्दाश्त भी एक हद तक ही कर पाता है। चाहे ममता बनर्जी एनडीए में बीजेपी के साथ रही हों या फिर यूपीए में कांग्रेस के साथ। ऐसा कोई मौका शायद ही रहा हो जब ममता बनर्जी ने अपना विरोध न जताया हो। गठबंधन की राजनीति में भी और सरकारी कामकाज में भी ये देखने को मिलता है। अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी ममता बनर्जी नाराज हैं कि दो घंटे उनको बिठाये रखा गया और बोलने नहीं दिया गया। कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्रियों की बैठकों में और भी मुख्यमंत्रियों की ऐसी शिकायतें होती थीं, लेकिन विरोध का झंडा हमेशा ही ममता बनर्जी के हाथ में ही नजर आता था। ममता बनर्जी को ये भी नहीं भूलना चाहिये कि अब वो पहले की तरह किसी गठबंधन का हिस्सेदार नहीं, बल्कि नेता बनने की कोशिश कर रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर

डॉ. धर्मेंद्र कुमार का सम्मान

समता पाठक

पृथ्वी पर हर एक प्रकार के जीव, जंतु, वायु, पानी, माटी के बीच संतुलन बनाए रखने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर वन नहीं होंगे तो मानव जीवन ही नहीं होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व भर की अनेकों सामाजिक एवं पर्यावरणीय संस्थाएं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं। इसी उपलक्ष्य में 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पर जनकपुर एवं पीपल, नीम, तुलसी अभियान भारत के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट, कमला बचाओ अभियान के सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम में भारत और नेपाल के पर्यावरण योद्धाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्यभ अतिथि और पीपल, नीम, तुलसी अभियान के संस्थापक डॉ. धर्मेंद्र कुमार का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया।

आईएफडब्ल्यूजे व पीटीआई एम्पलाइज यूनियन का दो दिवसीय संयुक्त सम्मेलन...

लोकतंत्र को मजबूत करना है तो मीडिया को स्वतंत्र छोड़ना होगा

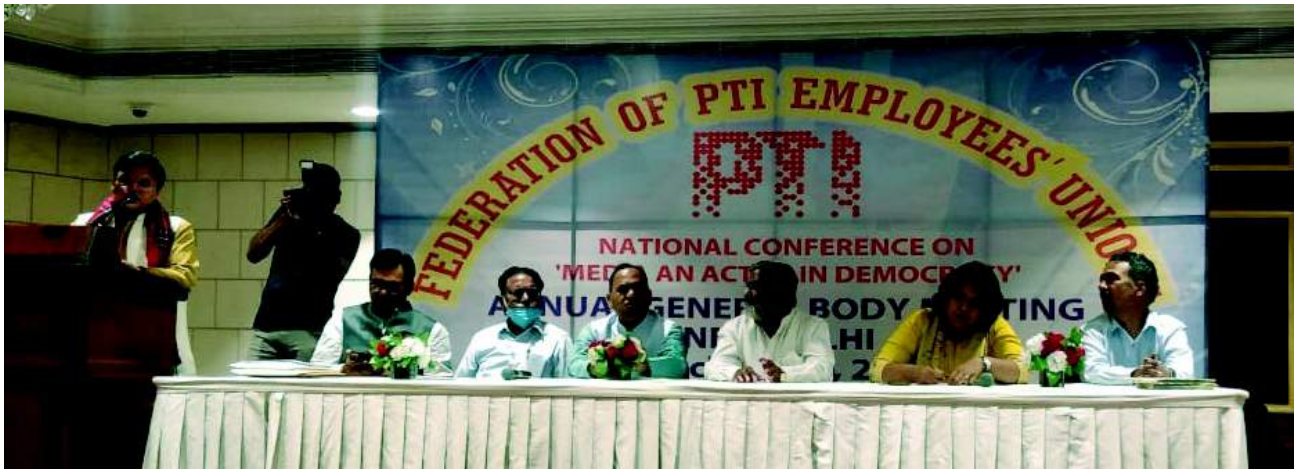

अमित राय

आईएफडब्ल्यूजे व पीटीआई एम्पलाइज यूनियन का दो दिवसीय 27 मार्च से 28 मार्च तक संयुक्त सम्मेलन नई दिल्ली के होटल रॉयल प्लाजा में आयोजित हुआ। फैडरेशन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कर्मचारी संघ पीटीआई भारत के अंदर और बाहर टीवी चैनलों और समाचार वेबसाइटों के 600 से अधिक समाचार पत्रों के लिए सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। जिसके द्वारा देश में पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन आईएफडब्ल्यूजे के साथ अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, शीर्ष संपादक, विचारक सहित विभिन्न मीडिया संगठनों के सदस्य शामिल हुए। कार्यम में देश भर के पत्रकार और पीटीआई के कर्मचारियों ने चौथे स्तंभ से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श एवं चर्चा की। जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट दोनों दिन मुख्य मुद्दा रहा।

पहला दिन - झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरी 45 वर्ष की राजनीति के कैरियर में मैंने देखा है कि पत्रकारों के हितों की बातों को उठाने के लिये मीडिया के संस्थान ही उनका साथ नहीं देते हैं। वर्तमान समय में पत्रकारों का रौब खत्म हो गया है। बड़े बड़े मीडिया हॉउस के पत्रकारों की स्थिति भी बाद में खराब हो जाती है। बेरोजगारी के कारण आज मीडिया में पत्रकारों की बाढ़ आ रही है। 1974 में मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने से हर तरफ डर का वातावरण था। इसलिए लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है तो मीडिया को स्वतंत्र छोड़ना होगा। वर्तमान में मीडिया एक प्रोडक्ट (उत्पाद) है। श्री सिंह ने कहा कि 100 वक्ता एक विचारक को पराजित नहीं कर सकते, 100 विचारक एक रणनीतिकार को पराजित नहीं कर सकते, 100 रणनीतिकार एक परफॉर्मर को पराजित नही कर सकते हैं। मीडिया मजबूत होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा।

श्री सिंह ने पत्रकारों को एकजुट रहने के लिए एक प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिये, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिये। इसलिए समय है कि सभी एकजुट होकर मीडिया के अधिकारों

और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए आगे आएं।

राज्य सभा सदस्य कैलाश सोनी ने कहा कि पत्रकारों के सम्मेलन में हम नेताओं को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना दर्शाता है कि अब पत्रकार अपनी शक्ति भूलने से लगे हैं, जो नहीं होना चाहिये। जबकि सनातन काल से कुर्सी की आदत है नींद आना और मीडिया का काम होना चाहिये उन्हें जगाए रखना। लोकतंत्र को यदि चिरंजीवी बनाए रखना है तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ को बचाना होगा। अन्यथा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह पाएगा जब लोकतंत्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी सुरक्षित कैसे रह पाएगा यह सोचने वाली बात है। अंत में उन्होंने सीख देते हुए कहा कि यदि मीडिया विश्वस्थ होगा तभी प्रतिष्ठित रह पाएगा। यदि वास्तव में चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो तो मीडिया को भी स्वतंत्र करने की जरूरत है।

चर्चित एवं वरिष्ठ पत्रकार व कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने अपने मुखर उद्बोधन में समाचार पत्रों व चैनल मालिकों की निरंकुशता का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता की उंगलियों पर नाचते तो वो हैं और बदनाम पत्रकार होता है। इनके व्यवसायिक हित लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को सत्ता के गलियारों में गिरवी रख आए हैं, जिन्हें छुड़ाकर लाना होगा।

दूसरा दिन - सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार आवश्यक वेतन बोर्ड बहुत जल्द स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आईएफडब्ल्यूजे, पीटीआई कर्मचारी संघ को मीडियाकर्मियों की कामकाजी परिस्थितियों और अन्य औद्योगिक संबंधों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री ने समाचारों के प्रसार में गति के साथ-साथ सटीकता पर जोर दिया और पीटीआई और यूएनआई जैसी समाचार एजेंसियों के काम की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय अधिकरणों और अन्य न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार उन्हें जल्द ही नियुक्त करने के लिए सयि रूप से काम कर रही है। उन्होंने मीडियाकर्मियों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया क्योंकि उन्हें व्यावसायिक खतरों का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी मीडियाकर्मियों को दिनचर्या से गुजरना चाहिए। यदि मीडिया संगठन विभाग से संपर्क करते हैं तो सरकार ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से सभी मीडियाकर्मियों के उनके कार्यस्थलों-कार्यालयों पर स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी कर सकती है। सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मीडियाकर्मियों और अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों की कामकाजी स्थिति है। देश में असंगठित क्षेत्र में 38 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। जिनमें से 27 करोड़ ने अपने आधार से ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण कराया है। मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार योगदान देने वाली पेंशन योजना पर विचार कर रही है। ऐसी योजना के लिए धन सरकार और दान देने वाले संगठनों या कमजोर वर्गो के लिए व्यक्तियों द्वारा दिया जाएगा।

फैडरेशन के महासचिव बलराम सिंह दहिया और आईएफडब्ल्यूजे के अध्यक्ष के. विम राव ने मीडिया मुद्दों को संबोधित करने के लिए वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, 1955 का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से मीडियाकर्मियों के लिए एक अलग न्यायाधिकरण का गठन करने का भी आग्रह किया ताकि जटिल मुद्दों को तेजी से हल किया जा सके।

सम्मेलन में सांसद दीपक प्रकाश, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, सीनियर एडिटर जयंत घोषाल, जीएम रेलवे अखिलेश श्रीवास्तव, इनकम टैक्स कमिश्नर अमरेश श्रीवास्तव, पीटीआई एम्पलाइज यूनियन अध्यक्ष अतनु पाल, महासचिव बलराम सिंह दहिया, संयोजक इंदुकांत दीक्षित सहित बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं चैनल से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों के साथ आईएफडब्ल्यूजे के राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने पीटीआई एम्पलोइज यूनियन द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।

ठेके की नौकरियों में गुम होता भविष्य

पद्माकर त्रिपाठी

वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के एक नये सर्वे से पता चला है कि देश में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में नौकरियां नियत मानदेय और ठेके पर दी जा रही है। यानी स्थाई नौकरी के अवसर तेजी से खत्म हो रहे हैं। कंपनियों और सरकारी विभागों की इस नीति के चलते कर्मचारियों के जीवन स्तर, कार्य क्षमता और मनोबल पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह बदहाली सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, निर्माण, आईटी, बीपीओ, पर्यटन वगैरह सभी क्षेत्र में बढ़ रही है। अपवादस्वरूप सेना, अर्थ सैनिक बल, पुलिस, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे चुनिंदा क्षेत्र ही फिलहाल इस व्यवस्था से बचे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के मामले में सरकारी-गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों में श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है। कानूनों के पालन की बात करें तो कामगारों से नियम सम्मत कार्य अवधि तक काम लेने के अलावा बाकी कुछ कानूनी नहीं होता है। यह स्थिति से केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से बेरोजगारी खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने संबंधी दावों का सच दिखा रही है।

कई क्षेत्रों में शारीरिक व मानसिक रूप से थके हुए सेवानिवृत्त लोगों और निर्धारित मानकों से बहुत नीचे की योग्यता रखने वाले लोगों को भी मानदेय पद्धति के आधार पर काम पर रखकर काम चलाऊ ढांचा विकसित किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसी कामचलाऊ ढांचे की गुणवत्ता और कार्य क्षमता पर कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्र पर काम करने वालों को शिक्षाशत्रु की संज्ञा दी थी।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त दूसरे लोगों के शोषण से बचाने के लिए बनाये गये नये कानून पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम-2012 में भी उन लोगों के हितों की सुरक्षा होती नहीं दिख रही है। इस नजरिये से शिक्षित, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के रूप को परिभाषित करने के

लिए कोई कारगर श्रेणीबद्ध तंत्र भी विकसित नहीं किया जा सका है।

यही कारण है कि शैक्षिक लोन लेकर पढ़ाई करने वाले लोगों में से ज्यादातर की हैसियत बैंक का लोन चुका पाने की भी नहीं बन पा रही है। ऐसे युवा अपने नियोक्ताओं, कम्पनियों के साथ ही वित्तीय संस्थानों के हाथों उनके मन-मुताबिक काम करने को मजबूर हैं। शायद इसी कारण मजबूर लोग सरकार की ओर से लोन माफी के अवसरों की बाट जोहते हैं।

इस व्यवसाय में तमाम लोगों को केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से चलायी जा रही समाज कल्याण योजनाओं का लाभ भी नहीं के बराबर मिल पाता है। इससे पहले उन्हीं लोगों को ध्यान में रख कर चलायी गयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पांच सदस्यों वालें पंजीकृत परिवारों को बीमार पड़ने पर इलाज के लिए 30,000 रुपये तक के आर्थिक सहयोग की बात कही गयी है। लेकिन रेहड़ी, ठेला, खोमचा, फेरी, रिक्शा चालन जैसे रोजगार करने वालों के साथ ही मानदेय पर काम करने वाले लोग भी उस योजना के लाभ से वंचित हैं।

मौसम बेराजगारी या दूसरी मजबूरियों के कारण रोजगार बदलने की स्थिति में प्रभावित लोगों को उसका लाभ किसी रूप में नहीं होने वाला है। ऐसे में, ठेके या मानदेय पर काम कर रहे लोगों की स्थिति कहीं ज्यादा कठिन हो गयी है। विशेष अवसरों पर बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग, चिकित्सा सहायता, सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा, पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी, जीवन बीमा, भविष्य निधि, शिक्षा निधि जैसे कोई सुविधा इन्हें मुहैया नहीं है। देश भर में श्रमिक सुरक्षा व कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, फैक्टरी एक्ट, बाल श्रम निरोधक जैसे ज्यादातर श्रम कानूनों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।

उन नीतियों के चलते स्थाई नौकरी करने वाले लोगों की तरह अस्थाई कार्मिकों की

व्यवस्थित कार्य स्थिति नहीं बन पा रही है। आज नियोक्ता ज्यादा वेतन पर काम करने वाले प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों की बजाय कम मानदेय अथवा ठेके पर काम करने वाले अप्रशिक्षित और कम अनुभवी कामगारों को प्राथमिकता देते हैं।

अकेले उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में पीएचडी, नेट, जेआरएफ, स्लेट और समकक्ष दूसरी योग्यता रखने वाले एक लाख से ज्यादा लोग विश्वविद्यालय में मानदेय पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से तय पैमाने से कम मानदेय दिया जाता है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले ऐसे शिक्षकों की हालत तो और भी दयनीय है। कमोबेश यही हाल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का भी है। चुनाव आयोग के लिये भी देश भर में कई सालों से नियमित रूप से सेवायें देने वाले लाखों कार्मिक उसी मानदेय पद्धति के हैं।

देश में कर्मचारियों, बैंकिंग, बीमा व दूसरे क्षेत्रों के लिए भी नये वेतनमान देने की तैयारियां हो रही हैं। दूसरी ओर नियमित नौकरी के एवज में ज्यादा वेतन पाने वाले लोगों की तुलना में अपर्याप्त मानदेय और दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे लोग लगातार बढ़ती महंगाई के चलते बहुत बदहाली में जी रहे हैं।

इस विसंगति का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की कार्यशैली, कार्य क्षमता और गुणवत्ता पर पड़ रहा है, जिसके नाते उसी तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, आधा अधूरा कार्य करने की संस्कृति विकसित हो रही है। दफ्तरों और फैक्ट्रियों के असुरक्षित वातावरण में काम करने के कारण वे असमय गंभीर रोगों के शिकार हो जाते हैं, इस तंगहाली से कार्मिकों का स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और मनोबल गिर रहा है। अफसोस कि इतनी बड़ी विसंगति खत्म करने की ओर नीति कारों का ध्यान नहीं जा रहा है।

सरकारी विभागों से लेकर छोटे बड़े उद्योगों में काम करने वाले इन कर्मचारियां के दुर्घटनाग्रस्त होने, असामयिक मौत अथवा नौकरी छिन जाने पर उनके आश्रित और परिजन बेसहारा हो जाते हैं, जबकि उन हालात में भी अक्सर नियोक्त द्वारा आश्रितों को राहत देने की ठोस पहल नहीं की जाती। विडम्बना यह कि नयी नीतियों के तहत न्यूनतम पेंशन योजना सफल बनाने के तो पुरजोर प्रयास हो रहे हैं लेकिन न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक और महंगाई के अनुरूप श्रमिकों को पर्याप्त वेतन मिलने का काम व्यवहार में सफल होता नहीं दिख रहा है।

कैसे खत्म होगी बाल मजदूरी

डॉ. गीता गुप्ता

आज भी बाल-श्रम भारत की एक गंभीर समस्या है। यद्यपि हाल के वर्षो में सरकार का ध्यान बच्चों की समस्याओं पर केन्द्रित हुआ है। इसीलिए अब अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून का रूप ले चुका है और बाल यौन शोषण पर विराम लगाने हेतु भी कानून अस्तित्व में आ गया है। परन्तु बाल श्रम रोकने में सरकार सफल नहीं हो पाई हैं। यह चिंताजनक है। समूची दुनिया में बाल श्रमिकों की संख्या 24 करोड़ से भी अधिक है। इनमें से एक तिहाई से भी अधिक बच्चे खदानों, खतरनाक मशीनों, खेतों, घरेलू कार्यो और दूसरे प्रतिबंधित कार्यों में लगे हुए है।इस तरह बुनियादी सुविधाओं से वंचित बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

बच्चों की खराब स्थिति के मद्देनजर विश्व में भारत छठे स्थान पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां लगभग बारह करोड़ बाल मजदूर है और ये सभी 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। हालांकि संसद में सरकार के कथनानुसार 15 वर्ष से कम आयु के सवा करोड़ से कुछ अधिक बच्चे स्कूल जाने की बजाय पेट की भूख मिटाने के लिए कठोर श्रम करने की विवश हैं। देश के विभिन्न राज्यों में स्थितियां अलग-अलग है परन्तु शोषित, उत्पीड़ित घर से भागे हुए, यौन उत्पीड़न के शिकार और निषिद्व क्षेत्रों में मजदूरी कर रहे बच्चे तो हर राज्य में है और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी इसलिए हो रही है क्योंकि समाज में कानून का कोई डर नहीं है।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 16 खतरनाक व्यवसायों एवं 65 खतरनाक प्रक्रियाओं की बाकायदा सूची जारी कर उनमें 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को रोजगार देना निषिद्व घोषित किया है। फिर भी हर शहर, हर गली-मुहल्ले में बच्चे प्रतिबंधित कार्यो में लगे हुए देखे जा सकते हैं।चाय के ठेलों, ढाबों, मोटर-गैरेज और घरों में कामगार के रूप में बच्चे ही पहली पसंद होते हैं, क्योंकि कम मेहनताने पर अधिक काम लिया जा सकता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया भी बच्चों का शोषक है। हर शहर, रेल्वे स्टेशन,

बस स्टैण्ड और सड़को पर अखबार बेचते बच्चे बाल श्रम का ही प्रमाण हैं। मगर कोई पत्रकार, ग्राहक या अखबार मालिक इस बाल श्रम के विरूद्व आवाज नहीं उठाता। कैसी विडंबना है।

सरकार ने स्कूल चले अभियान चलाया है, मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की है, शिक्षा को बच्चों का अधिकार घोषित किया है। लेकिन बच्चों का बचपन सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। वे शोषित और कुपोषित ही हैं। कोई शासकीय योजना उनके उज्जवल भविष्य की गारंटी नहीं बन पा रही है तो दोष किसका है? राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिला बाल विकास विभाग तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के होते हुए भी बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्हें श्रम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, आखिर क्यों? बाल मजदूरों के पुनर्वास हेतु सरकार ने कार्यक्रम बनाये हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल पुनर्वास केन्द्र औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य-सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बाल श्रम रोकने के लिए कानून भी बनाये गए हैं। बाल मजदूर (प्रतिबंधित एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को दस हजार से बीस हजार रूपये के अर्थदंड सहित एक वर्ष की सजा का भी

प्रावधान है। लेकिन यह तयशुदा बात है कि कोई कानून तभी कारगर हो सकता है जब उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिन खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बाल मजदूरी निषिद्व है, उनपर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए! हमारे आस पास ही बाल-श्रम के अनेक उदाहरण दिखाई देते है परंतु किसी नियोक्ता की कभी कोई शिकायत नहीं करता, न ही उसे दंडित किया जाता है तो बाल श्रम कैसे रूकेगा? देखा गया है कि निर्धन माता-पिता भी स्वयं बच्चों को मजदूरी के लिए भेजते हैं। वे उनकी शिक्षा में रूचि नहीं लेते क्योंकि पेट पालने में बच्चे उनके सहायक होते हैं। ऐसे में बच्चे कभी-कभी बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। ऐसे

परिवारों के आर्थिक स्वावलंबन का उपाय भी सरकार को करना होगा। बाल श्रमिकों की समस्या यदि सचमुच हल करनी है तो बाल श्रमिक अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना होगा और बाल श्रमिक विरोधी कानून तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को शिक्षा के अधिकार कानून के अनुरूप बनाना होगा। ताकि बेसहारा, बेघर बच्चों और बाल श्रमिकों को पुनर्वास के माध्यम से शिक्षा के अधिकार का सीधा लाभ मिल सके, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चों का जीवन प्रकाशमय हो सकेगा।

मेरा मानना है कि जनता के सहयोग के बिना कोई भी कानून बाल श्रम के कलंक से इस देश को मुक्ति नहीं दिला सकता। बच्चों के हित में जितने भी कानून बने है, उनका लाभ जब तक बच्चों को नहीं मिलेगा वे देश की उन्नति में भागीदार नहीं बन सकेंगे और जब तक बच्चों का बचपन नहीं संवरेगा तब तक देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना निरर्थक है, क्योंकि बच्चों पर ही देश का भविष्य अवलंबित है। ऐसे में, राष्ट्र के हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे और बच्चों को जहां भी मजदूरी करते देखे, उन्हें शिक्षा की रोशनी में ले जाने और उनके अधिकार दिलवाने का प्रयास करें तभी सरकार की बाल श्रम परियोजना स्कीम सफल होगी और हमारा देश बाल मजदूरी के कलंक से छुटकारा पा सकेगा।

रूस और यूक्रेन का युद्ध...

तबाही के मंजर में डूबा यूक्रेन

अभी तक रूसी सेना ने यूक्रेन में काफी तबाही मचा दी है। रूसी सेना के इन हमलों में ना सिर्फ यूक्रेन की सेना को नुकसान हुआ है, बल्कि वहां की जनता भी इससे काफी प्रभावित हुई है। यूक्रेन में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं और लोग अब खाने-पीने के लिए भी तरस रहे हैं। वहीं, यूक्रेन की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने रूसी सेना के कई सैनिक मार गिराए हैं।

अर्चना शर्मा

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है। अभी तक इस युद्ध के समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। युद्ध की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अभी तक 33 लाख से अधिक लोग यूक्रेन से भागकर गए हैं। इस युद्ध में यूक्रेन और रूस की सेना को काफी नुकसान हुआ है और यूक्रेन में तो इमारतों आदि को काफी नुकसान हुआ है। रूस ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन पर हमला कर दिया था और अभी तक युद्ध जारी है। अभी तक रूसी सेना ने यूक्रेन में काफी तबाही मचा दी है। रूसी सेना के इन हमलों में ना सिर्फ यूक्रेन की सेना को नुकसान हुआ है, बल्कि वहां की जनता भी इससे काफी प्रभावित हुई है। यूक्रेन में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं और लोग अब खाने-पीने के लिए भी तरस रहे हैं। वहीं, यूक्रेन की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने रूसी सेना के कई सैनिक मार गिराए हैं। यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया समेत कई पश्चिमी देशों ने उन्हें शरण देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इन लोगों का भविष्य अनिश्चित हो चुका है।

यूक्रेन में अफरा-तफरी मची है। लोग बॉर्डर पारकर पश्चिमी यूरोप जा रहे हैं। अभी तक एक लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या कई गुणा तक बढ़ सकती है। इस समय यूक्रेन के राष्ट्रीपति जेलेन्स्की पूरी दुनिया से मदद जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार कई देशों से बात कर रहे हैं। हालांकि उनको वादे के अलावा कोई ठोस मदद मिलती नहीं दिख रही है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो रूस ने यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर जल्द से जल्द कब्जा किया जाए।

हमले का आदेश देने से पहले पुतिन को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में उनकी सेना कीव पर कब्जा कर लेगी। लेकिन यूक्रेन में घुसते ही रूसी सैनिकों को जबरदस्त प्रतिरोध और ताबड़तोड़ जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा। रूस अभी तक अपने सैनिकों के मौत के आंकड़े को उजागर करने से बच रहा था और 2 मार्च को 498 मौतों को स्वीकार किया था।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह संघर्ष-विराम रूसी सैनिकों की वापसी और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के बदले में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की सदस्यता नहीं लेने के विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं। जेलेंस्की ने कहा यह हर किसी के लिए एक समझौता है। पश्चिम के लिए जो नहीं जानता कि नाटो के संबंध में हमारे साथ क्या करना है। यूक्रेन के लिए, जो सुरक्षा गारंटी चाहता है और रूस के लिए भी, जो नाटो का विस्तार नहीं चाहता है। जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत के अपने आह्वान को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि जब तक वह पुतिन से नहीं मिलते, यह समझना असंभव है कि क्या रूस भी युद्ध को रोकना चाहता है या नहीं। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का आपातकालीन विशेष सत्र फिर से शुरू होगा। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 22 सदस्य देशों ने बैठक बुलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय निकाय के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को पत्र लिखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता पर एक दुर्लभ आपातकालीन सत्र बुलाया था। यूरोपीय संघ के देशों ने रूस की सेना पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगाया। हालांकि प्रतिबंधों के जरिए

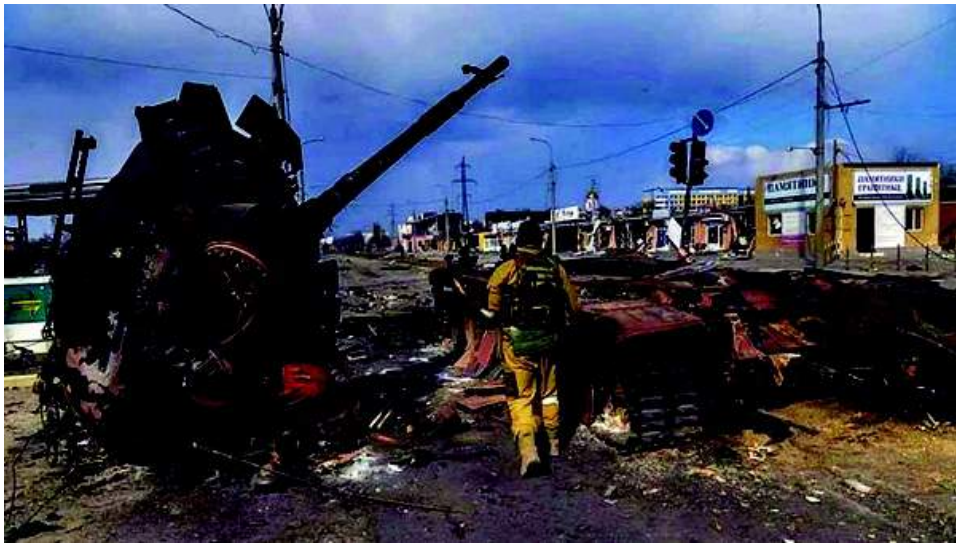

रूस के ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित करने से फिलहाल वे बचते नजर आए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताते हुए शत्रुता को तत्काल खत्म किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है तथा जोर दिया है कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतरराष्ट्रीय कानून एवं राज्यों की संप्रभुता के सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित है।

ऐसे में सवाल है कि इस युद्ध में अभी तक किस देश को कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो जानते हैं यूक्रेन ने सैनिकों, आम नागरिकों की मौत के साथ क्या खोया है, जबकि रूस की सेना को कितना नुकसान हुआ है।

यूक्रेन में कितना नुकसान हुआ?

युद्ध में हुए नुकसान को लेकर कई तरह के डेटा सामने आ रहे हैं और हर किसी की ओर से अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र, मीडिया रिपोर्ट, यूक्रेन के अधिकारियों, अमेरिका की ओर से कई तरह के आंकड़े आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस के हमले से यूक्रेन की 1000 बिल्डिंग ढह चुकी हैं और 3000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन का मारियुपोल शहर हुआ है, जहां लगातार बमबारी की जा रही है। जिन दर्जन भर शहरों में रूस की ओर से हमला किया गया है, उसमें मारियुपोल में सबसे ज्यादा अटैक किए गए हैं। दरअसल, रूस की ओर से कीव पर नाकामी के बाद इस शहर पर हमला किया जा रहा है और हजारों नागरिकों को बंधक बनाया गया है। मारियुपोल से लोगों को जबरन रूस भेजा जा रहा है। वहीं, यूक्रेन के सैनिकों को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पर

युद्ध का इतना प्रभाव है कि रूस के हमले के बाद से अब तक 35 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं।

रूस को कितना नुकसान हुआ है?

यूक्रेन की ओर से किए गए दावे के अनुसार अभी तक रूस के 15,300 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा, यूक्रेन की ओर से रूस के 252 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया जा चुका है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के 509 टैंक को खत्म कर दिया है और कई जगहों पर टैंक का कब्रगाह बन गया है। साथ ही यूक्रेन ने रूस के 123 हेलिकॉप्टर, 99

फाइटर जेट, 80 एमएलआरएस, 45 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। वहीं, यूक्रेन रूसी सेना के मनोबल को कम करने के लिए लगातार इस तरह के डेटा जारी कर रहा है और शुरुआती दिन से ही यूक्रेन की ओर से रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट जारी कर रहा है। वहीं, रूस का मानना है कि अभी तक यूक्रेन वॉर में रूस के 9861 सैनिक मारे गए हैं और 27 दिन की इस जंग में 16153 सैनिक घायल हो गए हैं।

20वीं और 21वीं सदी की लड़ाईयों ने दुनिया से क्या कुछ छीन लिया?

■ बीसवीं सदी का पहला बड़ा झगड़ा जुलाई 1914 में शुरू हुआ। सरायेवो में चली एक गोली ने ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य और सर्बिया के बीच युद्ध शुरू कराया। जल्दी ही सहयोगी देश एक-दूसरे की तरफ़ से युद्ध में कूदते गए। कुछ ही समय के भीतर ये सब पहले विश्वयुद्ध में बदल चुका था। पहले विश्वयुद्ध में मरने वालों की संख्या का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। अनुमान लगाया जाता है कि पहले विश्वयुद्ध में चार से दस करोड़ लोगों की जान गई। इनमें से आधी संख्या आम नागरिकों की थी। लाखों सैनिक युद्ध के बाद अपाहिजों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हुए। अनगिनत लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा।

■ पहले विश्वयुद्ध ने दूसरे विश्वयुद्ध की नींव तैयार की थी। हिटलर फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ़ से लड़ा था। वहां घायल होने के बाद बिस्तर पर पड़ा था, जब उसे जर्मनी के सरेंडर की ख़बर मिली। तभी उसने ठान लिया था कि जर्मनी का गौरव लौटाना है। उसके मन में यहूदियों के प्रति भयानक नफ़रत थी। हिटलर यहूदियों को जर्मनी की दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार बताता था। 1939 में हिटलर की सनक ने दूसरा विश्वयुद्ध शुरू कराया। ये लड़ाई 1945 तक चली। दूसरे विश्वयुद्ध में पांच से छह करोड़ लोगों की मौत हुई। दो करोड़ से अधिक लोग युद्ध के चलते हुए बीमारियों से मारे गए। पूरे यूरोप से यहूदियों का पलायन हुआ। उन्हें अपने लिए नए मुल्क़ की तलाश करनी पड़ी। इसे बाद में इज़रायल के नाम से जाना गया।

■ 1950 के दशक में कोरियन युद्ध ने 70-80 लाख लोगों की जान ली। इस लड़ाई के कारण कभी सहोदर रहे दो मुल्क़ों में दुश्मनी शुरू हुई। ये दुश्मनी आज तक बरकरार है।

■ अगला नंबर वियतनाम युद्ध का है। इस लड़ाई ने भी लाखों आम लोगों की जान ली। अमेरिका के लगभग 60 हज़ार सैनिक युद्ध में मारे गए। अमेरिका ने वियतनाम और कंबोडिया में इतने बम गिराए कि रेकॉर्ड बन गया1 उनमें से बड़ी संख्या में बम नहीं फटे। आज भी आम लोग उन बमों का शिकार हो रहे हैं। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल भी किया था। तब मिलिटरी हेलिकॉप्टर्स से केमिकल जंगलों पर गिराए जाते थे। केमिकल से ज़मीन और पानी के स्रोतों में पॉल्युशन फैला। इसके चलते वियतनाम के कई इलाकों में अपंगता की समस्या हुई।

■ 1990 के दशक में इराक़ ने कुवैत पर हमला किया। जल्दी ही अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने इराक़को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोर्चे से भागते सद्दाम के सैनिकों ने तेल के कुओं में आग लगा दी। ये आग कई हफ्तों तक जलती रही। इसकी वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा था।

■ 21वीं सदी में पहला बड़ा युद्ध अफ़ग़ानिस्तान में शुरू हुआ। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया। ये लड़ाई 20 सालों तक चली। अगस्त 2021 में तालिबान वापस

सत्ता में आ गया। अमेरिका की घर वापसी हो गई। इस लड़ाई में लगभग तीन लाख लोगों की मौत हुई। लाखों विस्थापित हुए। मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गए। इसी युद्ध की बदौलत अफ़ग़ानिस्तान की आधी से अधिक आबादी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुकी है। लोग ज़िंदा रहने के लिए किडनियां बेच रहे हैं।

ऐसे ही कई और भी उदाहरण हैं। इराक़, सीरिया, लीबिया, यमन, इथियोपिया आदि। युद्ध ने सिर्फ़ छीनना सीखा है, देना नहीं। इसकी असली कीमत सिर्फ़ और सिर्फ़ आम इंसानों को चुकानी पड़ती है। ये कीमत सिर्फ़ पैसों से नहीं जुड़ी होती है। युद्ध की मानवीय कीमत सबसे वीभत्स होती है और उसकी गणना करना नामुमकिन है।

बाकी दुनिया में क्या चल रहा है?

■ अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। अमेरिका पूर्वी यूरोप में अपने सैनिक भी भेज रहा है। लेकिन सिर्फ़ नाटो के सदस्य देशों की सीमा में। हालांकि, उसने साफ़ कर दिया है कि उसके सैनिक यूक्रेन में लड़ने नहीं भेजेगा। नाटो पहले ही यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर चुका है। यानी यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। जानकारों ने अमेरिका और नाटो के पीछे हटने की कई वजहें गिनाई जा रहीं है। पहली, यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है। इसलिए वे उसकी सैन्य मदद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। दूसरी वजह न्युक्लियर वॉर की आशंका से जुड़ी है। अमेरिका और नाटो रूस के साथ सीधी लड़ाई में आकर परमाणु युद्ध नहीं छेड़ना चाहते। पुतिन ने चेतावनी दे रखी है कि वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

■ सीरिया ने रूस को सीधे सपोर्ट की बात कही है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने कहा कि रूस का हमला इतिहास को सुधारने की कोशिश है। सीरिया के सिविल वॉर में रूस असद सरकार की मदद कर रहा है।

■ नाटो के एक सदस्य तुर्की ने संगठन की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए हैं। उसने रूस के हमले की आलोचना की थी। अब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने नाटो को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि नाटो और यूरोपियन यूनियन सिर्फ़ सलाह दे रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा।

युद्ध से सबसे अधिक तबाह होती हैं महिलाएं

हम जानते हैं कि यूक्रेन एक छोटा देश है जिसकी जनसंख्या भारत से 33 गुना कम है। पर इस छोटे से देश की महिलाएं देशभक्ति और अदम्य साहस व सहनशक्ति का जो परिचय दे रही हैं, वह बेमिसाल है। युद्ध शुरू होने के साथ ही सरकार ने आदेश दिया कि 18-60 बरस के पुरुषों को यूक्रेन में ही रहना होगा और देश की रक्षा करनी होगी। तब महिलाओं के लिए एक ही उपाय बच जाता है-यदि वे काबिल हों तो युद्ध के दौरान अपने लोगों की मदद करें। पर शुरू में लगा था कि युद्ध अधिक नहीं खिंचेगा। तब कई औरतें हमले के केंद्र में अपने घर छोड़कर ऐसे इलाकों की ओर बढ़ीं जो रूसी सैनिकों के टार्गेट में नहीं थे, या फिर देश छोड़कर यूरोप के दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर तबतक रहने की बात सोच रही थीं जबतक युद्ध थम नहीं जाता। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है बच्चों, बूढ़ों और बीमारों की। उन्हें आक्रमण के बीच कीव में नहीं रखा जा सकता। पर जैसे जैसे आक्रमण तेज़ हुए, औरतें पुरुष सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का मन बनाने लगीं।

यूक्रेन को स्वीकार नहीं रूस की मांगें

एक संभावित युद्धविराम समझौते के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई मांगें रखी हैं, जिसमें यूक्रेन की तटस्थ और गैर-परमाणु स्थिति, विसैन्यीकरण और विमुद्रीकरण, कब्जे वाले क्रीमिया को रूस के रूप में मान्यता और तथाकथित डोनेटस्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की संप्रभुता शामिल हैं। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा।

Is Solution-Based journalism the solution?

Dr. Vishnupriya Pandey

An American writer and political activ ist Eldridge Cleaver once said, "There is no more neutrality in the world. You either have to be part of the solution, or you're go ing to be part of the problem." And we feel that the same has become a big truth of the Media World.

It all started when unflinching courage & mis sion based Journalism converted into a profit based profession gradually. Now news has become a com modity in this highly competitive media market & has been impacted brutally by the market forces.

There isn't any doubt that studies show our nat ural inclination towards negative discourse. Psy chologists say that the mind of human beings is programmed to focus on the negative. Researches from the field of neuroscience explain that being more sensitive towards negative is a part of our primitive survival

mechanism. And that is why the media world believes that "If it bleeds, it leads."

Now the question arises, if media is considered as the fourth pillar of democracy, can it afford to be profit centric to this higher extent?

All the professions and fields are not for mere profit making. Some are for peoples' larger benefit & journalism is definitely one of them. Our philos ophy believes in 'Sarve bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah'.

We believe in the happiness of everyone, our cul ture wants everybody to experience auspiciousness. Welfare of all is in the centre of our prayers; hence our journalism must be constructive & should fol low the same ethos. A lot of constructive events & things are happen ing all around which must be reported by the media with the same pace as all the negative incidents are being reported. This will definitely give an illustrious direction to the overall growth of our country.

Growth of a country depends upon the prosperity of its society and the happiness of its citizens. How ever, now a days our media is known for spreading hatred & condemnation. Ironically an

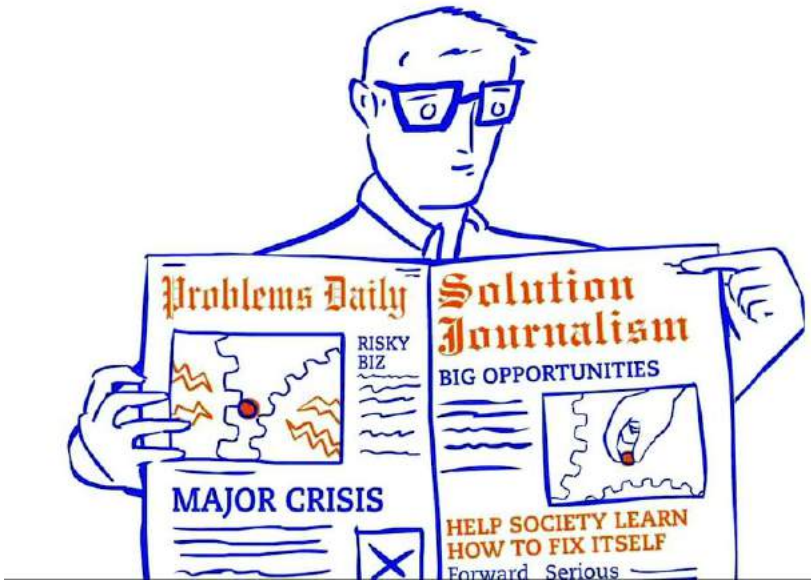

entity meant for conveying clarity has been spreading confusion. *Stop consuming news while taking morning tea or before going to bed', is being suggested by the doc tors while giving treatment to their patients suffer ing from depression or anxiety.

Solution-based journalism is the only way to justify the role of media as a significant compo nent and an inevitable part of a healthy democracy. Solution-based journalism is not devoid of critical questions, in fact it avoids unnecessary focus on sensational negative content. This type of journal ism is to serve the citizens of our country and to stop various media houses to grind their own axe.

It is a matter of immense satisfaction that the top institutions of media education have started pay ing heed to this issue. The future journalists of our country are required to be taught & trained in such a way that they could report beyond the problem based narrative for engaging communities in posi tive ways for the overall growth of our country.

They must be trained in such a way so that they could bring about the necessary changes in the me dia world for the bigger benefit of our citizens and society.

(The writer is a Media Educator & Students Relations Officer at the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi.)

CITIZENS DEMAND REPEAL OF ANTI-CONVERSION LAWS IN INDIA

Many prominent citizens in India demanded for a Repeal of All Anti-Conversion Laws in India, in the context of the Anti-Conversion Bill scheduled to be tabled in Karnataka Upper House on February 14, 2022. The initial signatories for the Petition to the President of India included nationally well known citizens like Admiral L Ramdas (Former Chief of Naval Staff of the Indian Navy), Mallika Sarabhai (Accomplished dancer & choreographer), Medha Patkar (NAPM), Anand Patwardhan (Film Maker), Mani Shankar Aiyar (Former Minister), Prof. Kancha Ilaiah Shepherd (Writer, Academician), Rev. Peter Machado (Archbishop of Bangalore), Margaret Alva, Former Governor of Goa, Gujarat and Uttarakhand), Teesta Setalvad (Advocate, Civil Rights Activist), K. Satchidanandan (Writer, Poet, Former Secretary of Sahitya Akademi), Annie Raja (National Federation of Indian Women), Prof. Ram Puniyani, Harsh Mander (Author, Social Activist), Kavita Krishnan (AIPWA), Dr. John Dayal (Senior Journalist, Human Rights Activist), Sandeep Pandy (General Secretary, Socialist Party of India), Tehmina Arora (Human Rights Activist), Brinelle D'Souza (Centre for Health and Mental Health, TISS), Susmit Bose (Musician), Irfan Engineer (Centre for Study of Society and Secularism), Vidya Dinkar (Human Rights Activist) and others.

While articulating that that a new Anti-Conversion Law is not necessary since the Indian Constitution has enough provisions for the same, the signatories also stated: 'Wherever the Anti-Conversion law, ironically officially called Freedom of Religion Act, was passed, it became a justification for the persecution of the minorities and other marginalized identities. The attacks on the minorities grew sharply in recent years since this law was used as a weapon targeting the dignity of Christians and Muslims particularly belonging to Adivais, Dalits and women.' The petition called for joining hands to defend the values enshrined in the Indian Constitution and protection of human rights of the minorities and other marginalized sections in India. The petition was initiated by the National Solidarity Forum, a network of groups and individuals who started acting in response to the Kandhamal Genocide on the Adivasi Christians and Dalit Christians in 2007-2008.

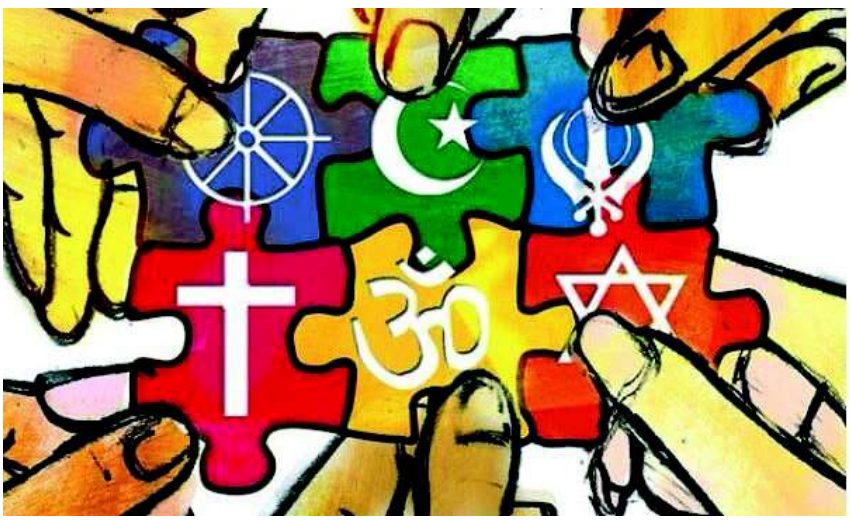

In India, from the last few years there have been scattered and sporadic sub-radar attacks on Christian communities. Pretext made is that Christian Missionaries are converting by force, fraud, coersion or allurement. Population census shows a small decline in the percentage of Christians from

2.6 percent in 1971 to 2.3 percent in 2011. These Anti-Conversion Laws, generally called freedom of religion laws, are attempts to intimidate the Christian Community and the planned law in Karnataka is on the same lines,' said Prof. Ram Punyani, the Convenor, National Solidarity Forum (NSF).

Ajay Kumar Singh, a Co-Convenor of NSF stated: 'A Dalit converted to Christianity or Islam loses the reservation and protection from the State. The Dalit does not lose any reservation and protection if he or she converts to Sikhism, Jainism or Buddhism. It is a reality that the discriminatory dalit identity does not change no matter which religion one belongs to. . There are stringent penal for restricting the dalit and adivasi to convert to Christianity or Islam. This law itself acts as an inducement to remain in Hinduism and violates the individual's right to choose one's own religion. It treats them as objects, who cannot decide for themselves.'

'The law disrespects women, and places restrictions for a woman to choose her partner. It is conceived with a notion that women in India are not in a position to think on their own and act on their own. This law is highly patriarchal. It is not acceptable,' said Vidya Dinkar, human rights activist and a core team member of NSF.

Dr. John Dayal, senior journalist, human rights activist and a founder member of the National Solidarity Forum stated: 'The Anti-Conversion Laws are not just affecting the Christians alone, they are meant for further persecution on the Muslims, Dalits, Adivasis and women also in this country. They violate the basic tenets of the Indian Constitution and India's secular heritage.'

'This law discriminates against certain religions. It is a violation of the principle enshrined in the Indian Constitution that all religions are equal. It is meant to strengthen religious conflicts and majoritarian nationalism in India. Moreover, its infantalizes the poor and gives the State power over matters that are deeply personal.' Said Brinnele D'Souza, Centre for Health and Mental Health, School of Social Work, Tata Institute of Social Sciences Thousands of people have already responded to the petition immediately by endorsing it and thousands of endorsements are pouring in. The petition is available on https://chng.it/gBYcGCPZyV

Supporting the petition, Margaret Alva, the former Governor of Goa, Gujarat and Uttarakhand, appealed: 'the National Solidarity Forum is trying to collect signatures of people from all religions and backgrounds to dissuade the Government from passing this Bill. I request you to sign this appeal to withdraw the anti-Christian bill and such laws in other states of the country.'

Many political parties like Congress, Janata Dal, Aam Aadmi Party, Welfare Party, Socialist Party (India) and other political organisations have already come forward strongly against the Anti-Conversion Bill and the need to protect the Indian Constitution and the secular tradition in India.

Dr. Ram Puniyani, Convenor, National Solidarity Forum

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS

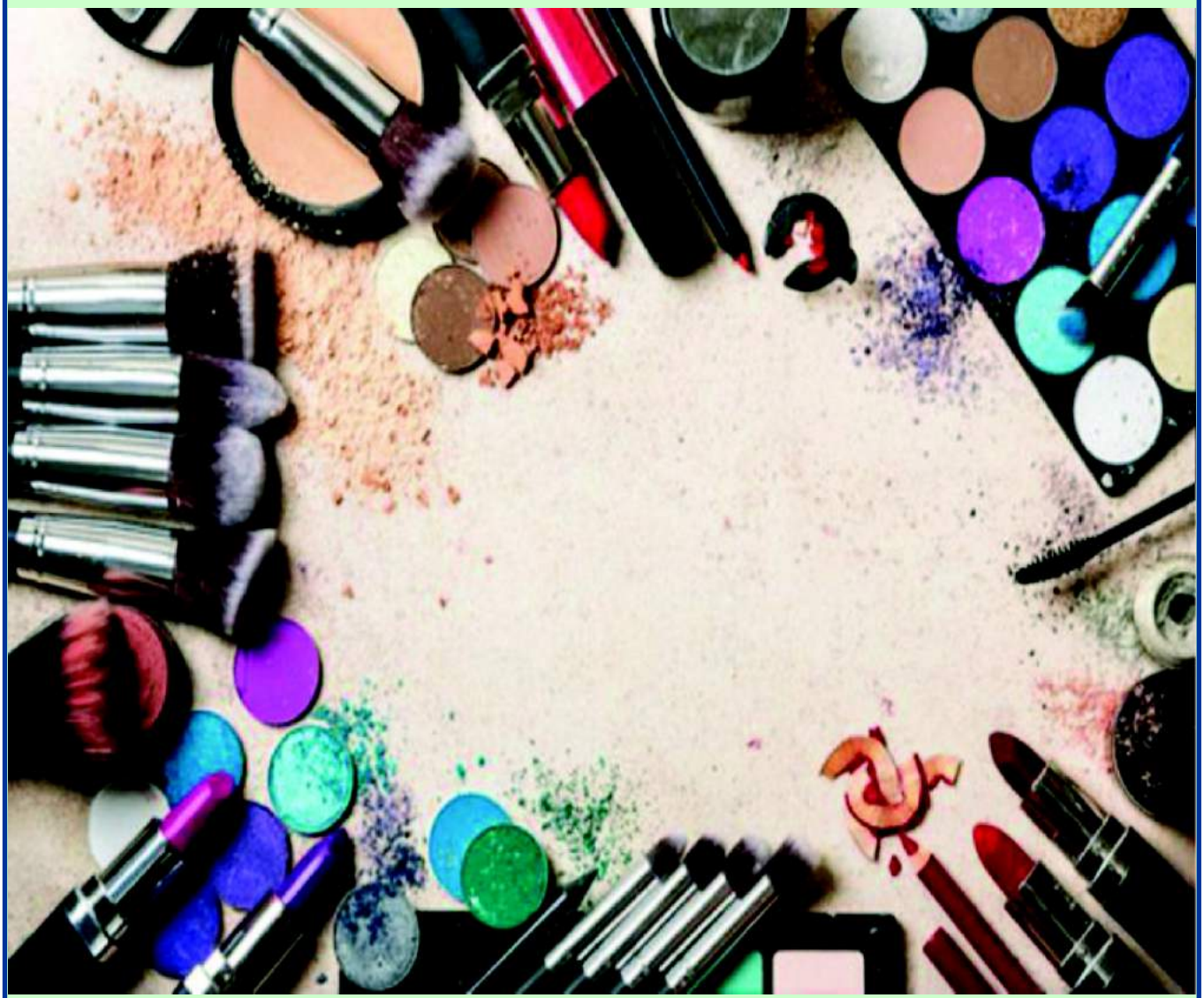

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016

सावधानी से गाड़ी चलाएँ
या आप उसी जगह पँहुच जाएंगे
जहाँ जाना नहीं चाहते हैं।
जनहित के लिए जारी